पंचायती राज

पंचायती राज भारत के ग्रामीण शासन की रीढ़ है, जो स्थानीय प्रशासन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उम्मीदवारों को इस विषय में महारत हासिल करने में मदद करने के लिए, कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने एमपी एसआई, पटवारी और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं सहित एमपी टॉप 40 सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए इस पुस्तक को विशेष रूप से संपादित किया है।

इस पुस्तक में प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ पंचायती राज प्रणाली के इतिहास, संरचना, कार्यों और महत्व को व्यापक रूप से शामिल किया गया है। इसमें विषय की गहरी समझ प्रदान करने के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण, केस स्टडी और हाल के घटनाक्रम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें तैयारी को बढ़ाने के लिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, मॉडल पेपर और व्यापक अभ्यास अभ्यास शामिल हैं।

नवीनतम परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई, यह पुस्तक उम्मीदवारों के लिए वन-स्टॉप संसाधन के रूप में कार्य करती है। हमें उम्मीद है कि यह उम्मीदवारों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और उनकी परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करेगा।

शुभकामनाएँ और हैप्पी लर्निंग!

कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस

विषय सूची

क्र. विषय	पृष्ठ संख्या
1.पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय	3 - 14
2.जिला और स्थानीय प्रशासन	15 - 31
3.वस्तुनिष्ठ प्रश्न	32 - 45

KOTHARI INSTITUTE

पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय

पंचायती राज आशय

- पंचायती राज,एक दर्शन और विचारधारा है।
- यह कंवल शासन,स्वाशासन तक सीमित विचार नहीं है।
- इसका व्यापक अर्थ है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पर्याय है।
- यह शासन सता को आम लोगों तक पहुँचाने का साधन है। अर्थात् यह सहभागी लोकतंत्र का पर्याय है।

ऐतिहासिक विकास-

- 1870 में लॉर्ड मेयो ने भारत में स्थानीय,शासन लागू करने की अनुशंसा की।
- लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहली बार स्थानीय शासन बोर्ड की स्थापना हुई,जो स्थानीय शासन के विकास में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक उपलब्धि मानी गई।
- राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गाँधी जी ने पंचायती राज को अत्यंत लोकप्रिया बना दिया।
- संविधान सभा में पंचायती राज ब्लूवस्था का समर्थन प्रसिद्ध गाँधीवादी श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किया और पंचायती राज को संविधान के निर्देशक तत्वों के भाग में सम्मिलित किया गया। (अनुच्छेद-40)
- स्वतंत्र भारत में जे.सी.कुमारप्पा ने गाँधीवादी आदर्शो के आधार पर गाँधीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया।

स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का विकास-

- स्वतंत्र भारत में ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में वृद्धि के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम फोर्ड फाउण्डेशन (Ford Foundation) की मदद से लागू किया गया।
- सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत् ग्रामीण लोगो को सस्ते बीज और बेहतर तकनीकी सुविधाएँ देने का प्रयत्न किया गया। परंतु इस कार्यक्रम को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना हुई। जिसकी रिपोर्ट निम्नलिखित है-

i. त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की जायेगी।

ii. इसके अंतर्गत् ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष एवं सीधा होगा। जबकि पंचायती समिति एवं जिला समिति का चुनाव परोक्ष रूप में होगी।

iii. नियोजन व विकास की सभी गतिविधियाँ इन संस्थाओं को सौपी जाए।

iv. पंचायत समिति,(खंड स्तर) कार्यकारी निकाय के रूप में होगीं। जबकि जिला परिषद् की भूमिका सलाहकारी समन्वयकारी एवं पर्यवेक्षण की होगी।

v. जिला परिषद् का चेयरमेन जिलाधिकारी होगा।

vi. इन संस्थाओं के प्रभावी कार्यक्रम के लिए उन्हें पर्याप्त संसाधन स्थानंतारित किये जाएं और भविष्य में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए।

पंचायतों का व्यावहारिक प्रयोग-

- बलवंत राय मेहता की सिफारिशों के बाद पहली बार 2 अक्टूबर,1959 की राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज लागू किया गया। दूसरा राज आंध्र प्रदेश था,जहां पंचायती राज लागू हुआ।
- परंतु 60 के दशक में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अनेक संकट देखे गए। दो युद्ध,(भारत चीन के बीच एवं भारत-पाकिस्तान के मध्य) खाघन्न तथा आर्धिक संकट। इसलिए पंचायतों का प्राभावी क्रियान्वयन नहीं हो सका।

KOTHARI INSTITUTE

पंचायतो के विकास का द्वितीय चरण (अशोक मेहता समिति)-

- जनता पार्टी सरकार ने 1978 में अशोक मेहता समिति की स्थापना की। जिसने 1978 में अपनी रिपोर्ट दी,जिसकी मूल अनुशंसाए है-

i. द्विस्तरीय पंचायती राज होगा,जिसमें जिला परिषद् एवं मण्डल पंचायत नामक दो स्तर होंगे।

ii. 15 से 20 हजार आबादी के लिए एक मण्डल पंचायत का गठन होगा।

iii. समिति ने जिला स्तर को सर्वाधिक महत्व दिया,तथा इसे जनपद स्तर पर योजनाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी और कार्यकारी निकाय के रूप में माना।

vi. पंचायतों के चुनाव में सभी स्तरों पर राजनीतिक दला की भागीदारी को औपचारिक मंजूरी दे दी गई।

v. समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को करारोपण की शक्तियों एवं अपने संसाधन उगाहने की शक्तियों देने की भी अनुशंसा की।

vi. राज्य सरकारों के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

vii. पंचायतों के विघटन के बाद चुनाव 6 महीने की अवधि में ही हो जाने चाहिए।

viii. पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजातियों को उनको जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की।

ix. इस समिति ने पंचायती राज वित्त निगम की स्थापना का भी सुझाव दिया।

x. समिति के अनुसार,राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद् में एक पंचायती राज मंत्री की भी नियुक्ति होनी चाहिए।

xi. राज के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से पंचायतो के चुनाव आयोजित होने चाहिए।

xii. विकास पंचायत से अलग एक न्याय पंचायत की सभी स्थापना होनी चाहिए,जिसका अध्यक्ष एक न्यायाधीश हो।

दाँतेवाला समिति-

- इस समिति ने खण्ड स्तर पर नियोजन की अनुशंसा की तथा गाँव,जनपद एवं राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन को अंतर्संबंधित करने पर बल दिया।

जी.वी.के.राव समिति (1985)

- योजना आयोग ने ग्रामीण विकास एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम की समीक्षा के लिए 1985 में इस समिति की स्थापना की।

अनुशंसाएँ-

- ग्रामीण विकास के लिए पंचायतों का पुनर्जीवन आवश्यक है।
- इसके अंनुसार,जिला परिषद् सभी विकास के कार्यक्रमों के निर्धारण में केन्द्रीय संस्था होनी चाहिए।
- समिति ने वित्त आयोग के गठन,पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष और त्रिस्तरीय पंचायतो के गठन का सुझाव दिया।

लक्ष्मीमल सिंघवी समिति (1986)-

- राजीव गाँधी सरकार ने लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायतों के पुनर्जीवन नामक समिति की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष एल.एम.सिंघवी थे।

अनुशंसाए-

- पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान किया जाए।
- त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया जाए। यह तीन स्तर इस प्रकार होगा ग्राम स्तर खण्ड स्तर जिला स्तर पर।
- पंचायतों के चुनाव एक निश्चित अवधि में संपन्न कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की जाए।
- वित्त आयोग के प्रभावी कार्यकरण के लिए पर्याप्त अनुदान देना।

KOTHARI INSTITUTE

- राजनीतिक दलों की सहभागिता को हतोत्साहित करना।
- पंचायतों में विवाद निपटाने के लिए न्याय पंचायत के गठन का सुझाव।

पी.के.थुंगन समिति (1988)-

- थुंगन समिति ने भी पंचायती राज को संवैधानिक आधार देने का समर्थन किया,परंतु थुंगन समिति के अनुसार,भारत में पंचायतों का संबंध सीधा संघ सरकार से होना चाहिए। अतः समिति ने पंचायतो राज को राज्यों का विषय नहीं माना।
- यह बिन्दु उल्लेखनीय है,कि सरकारिया आयोग ने भी पंचायती राज को संस्थाओं की शक्तिशाली बनाने पर जल दिया था।

विभिन्न सरकारों द्वारा पंचायती राज लागू करने के लिए किये गये प्रयास

- राजीव गाँधी सरकार ने 1989 में लोकसभा में 64 वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। जो भारी बहुमत से पारित हो गया, परंतु राज्यसभा में पारित नहीं हुआ।
- वी.पी. सिंह सरकार ने पंचायती राज को शक्तिशाली बनाने के लिए 1960 में मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 1990 में ही सरकार ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, परंतु तब तक वी.पी. सरकार गिर गई।
- 1991 में नरसिंहराव सरकार ने पुनः इसे संवैधानिक आधार देने का प्रयत्न किया तथा 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में यह लागू हो गया।
- यह संविधान संशोधन लागू होने के बाद पहली बार मध्यप्रदेश राज्य में चुनाव हुए।

73वां संविधान संशोधन के प्रावधान-

- पंचायती राज,राज्य सूची का विषय है।
- 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग-9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई।
- राज्य सूची के 29 विषय पंचायतो को सौपें गए।
- तीन स्तरीय पंचायती राज की स्थापना (ग्राम स्तर,खण्ड स्तर एवं जिला स्तर)।
- परंतु 73वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान भी किया गया है,कि आबादी 20 लाख से कम है, वहां दो स्तर के पंचायती राज की स्थापना की जायेगी। उदाहरण-गोवा,मणिपुर में ग्राम स्तर तथा जिला स्तर के दो स्तर के पंचायती राज की स्थापना की गई है।

पंचायतों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग-

- पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है, जिसका कार्य पंचायतों चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली का निर्माण करना तथा चुनाव का नियंत्रण और निगरानी रखना।
- पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा।
- पंचायतों के चुनाव में गड़बड़ी एवं विवाद का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा होगा।
- राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्त राज्यपाल करेगा, लेकिन इस उच्च न्यायालय के न्यायधीश की भाँति हटाया जाएगा।
- तीनों स्तरों पर सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है।
- निर्वाचित होने की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है।
- खण्ड पंचायत एवं जिला परिषद् के अध्यक्ष परोक्ष रूप से निर्वाचित होते है। खण्ड पंचायत के सदस्य खण्ड परिषद् के अध्यक्ष का निर्वाचन करते है।
- ग्राम पंचायत अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है।

पंचायत में आरक्षण -

- पंचायत के चुनाव में महिलाओं व अनुसुचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षण प्रदान किया गया है। (अनुच्छेद-243,(D)

KOTHARI INSTITUTE

- यह बिन्दु ध्यान देने योग्य है कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करना विधानसभा की मर्जी पर है।
- अध्यक्ष पद हेतु महिलाओं व अनुसुचित जाति तथा अनुसुचित जनजाति को आरक्षण भी राज्य विधानसभा की मर्जी पर है।
- 73वें संविधान संशोधान के द्वारा महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण प्रदान किया गया है।
- म.प्र. शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण के मत्वय से महिलाओं को 2007 में स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण प्रदान किया गया है।
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को आरक्षण उनके जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाएगा।
- पंचायतों में आरक्षण,अध्यक्ष पद एवं सदस्य दोनों के लिए होता है तथा आरक्षण पंचायत के तीनों स्तरों पर दिया जायेगा।

पंचायतों का कार्यकाल-

- पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षो का निर्धारित किया गया है।
- यदि पंचायतों का विघटन निर्धारित समय के पहले हो,तो पंचायतों के विघटन के 6 माह के भीतर चुनाव होने चाहिए तथा चुनाव बचे हुए समय के लिए होगा।
- यदि पंचायतों का कार्यकाल 6 महीने से कम बचा हो,तो चुनाव समूचे 5 वर्षों के लिए होते ।

पंचायतों के सदस्यों की योग्यताएं

- इसमें निर्वाचित होने के लिए 21 वर्ष की आयु आवश्यक है।
- व्यक्ति,राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के लिए योग्य होना चाहिए।

Note-पंचायतों की सबसे छाटी ईकाई ग्रामसभा होती है।

- ग्रामसभा में गांव के 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी लोग शामिल होते है।

ग्रामसभा के कार्य-

(i) वार्षिक लेखा विवरण एवं लेखा परीक्षण रिपोर्ट की जाँच करना।

(ii) नये कर लगाने,वर्तमान करों में वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार करना।

(iii) योजनाओं,लाभार्थियों और स्थलों को चयन।

(iv) सामुदायिक कल्याण के कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक, श्रमिक या वस्तुओं के रूप में अंशदान देना।

(v) विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना।

(vi) गाँव में वयस्क,शिक्षा एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों का संचालन।

(vii) विगत् वर्षों के लेखा परीक्षण की जाँच।

(viii)पंचायतों की वर्तमान योजनाओं तथा समस्त प्रकार के क्रिया कलामों की समीक्षा करना।

(ix) ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों,आय-व्यय के स्पष्टीकरण मांगना।

ग्राम पंचायत के कार्य-

- ग्राम पंचायत के कार्यों को प्रायःदो विभक्त किया जाता है- अनिर्वाय कार्य एवं ऐच्छिक कार्य।
- अनिवार्य कार्य,वे है,जो पंचायतो को करना अनिवार्य है। जबकि ऐच्छिक कार्य,पंचायत अपनी इच्छानुसार या राज्य सरकार के आदेशानुसार कर सकती है।

अनिवार्य कार्य-

(i) सर्वाधिक कुओं,तालाबों,जलाशयों का निर्माण एवं उनकी मरम्मत एवं पुलियों का निर्माण।

(ii) सर्वाधिक मार्गो,शौचालयों,नालियों,ग्राम पंचायत की सड़कों एवं पुलियों का निर्माण।

(iii) कृषि का विकास।

(iv) जन्म,मृत्यु तथा विवाह का पंजीकरण।

(v) लघु सिंचाई साधनों का निर्माण।

(vii) सार्वजानिक हाटों,मेलों आदि की स्थापना।

(viii)टीका और सुई लगाना।

KOTHARI INSTITUTE

(ix) पशुओं और उसकी नरल का सुधार।

(x) सार्वजानिक भूमि का प्रबंध।

ऐच्छिक कार्य-

(i) सड़कों के किनारे एवं अन्य स्थान पर वृक्ष लगाना।

(ii) धर्मशालाओं,विश्रामगृहों और सार्वजानिक घाटों का निर्माण।

(iii) सामुदायिक केन्द्रों को व्यवस्था।

(iv) खेल स्थलों,पुस्तकालयों और पार्कों का निर्माण।

(v) सामाजिक और नैतिक कल्याण का संवर्द्धन,जिसमें मद्य निषेध, छुआछूत का उन्मूलन, भ्रष्टाचार उन्मूलन,मुकदमेबाजी को हतोत्साहित करना और झगड़ों को सहमति द्वारा सुलझाने को प्रोत्साहित करना।

खण्ड पंचायत के कार्य

➢ भारत के अधिकांश राज्यों में खण्ड पंचायतें,स्थानीय स्वशासन की मूल धुरी है। खण्ड पंचायत के द्वारा ही समूची योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी कहलाता है,जो पंचायतों के कार्यों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। साथ ही पंचायतों के आवश्यक तकनीकी और वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। पंचायत समिति के कार्यों को निम्न दो भागों में बाटा जाता है-

(i) नागरिक सुविधाएँ प्रदान करना।

(ii) विकास कार्यों को पूर्ण करना।

(i) नागरिक सुविधाओं के अंतर्गत् क्षेत्र की सडकों का निर्माण एवं रखरखाव,पेयजल की व्यवस्था,नालियों का निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रों की स्थापना, पुस्तकालयों की स्थापना एवं प्राथमिक तथा बुनिवादी पाठशालाओं की व्यवस्था।

(ii) विकास कार्य,सामुदायिक विकास के अंतर्गत् आने वाले सभी कार्यों का निष्पादन,उन्नत बीजों की वृद्धि एवं दुग्ध व्यवसाय, कुटीर, ग्रामीण और लघु उघोगों का विकास, उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।

जिला परिषद् का कार्य-

➤ जिला परिषद्, मूलतःनिरोक्षणकारी कार्य संपादित करता है। परिषद् का कार्य अपने अधीनस्थ निकायों के कार्यों पर्यवेतक्षण करना,तथा उनके मध्य समन्वयं स्थापित करना है। यद्यपि वर्तमान समय में जिला परिषद् समन्वयात्मक भूमिका के अतिरिक्त विकास कार्यों को संपादित भी कर रहा है। जिला परिषद् के मूल कार्य निम्न है-

(i) पंचायत समितियों के बजट का परिक्षण और अनुमोदन।

(ii) पंचायत समितियों को कुशलतापूर्वक कार्य संपन्न करान निर्देश।

(iii) पंचायत समितियों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समन्वित करना।

(iv) राज्य सरकार को जनपद के विकास के कार्यों के संदर्भ में परामर्श देना।

(v) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित धनराशि को जिले की पंचायत समितियों में वितरित करना।

(vi) जिलाधिकारों और मंडलायुक्त को जिले की पंचायतों और पंचायत समितियों द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में सूचना देना।

(vii) राज्य सरकार को जिले की पंचायतों और पंचायत समितियों के बीच कार्य के विभाजन के संदर्भ में सलाह देना।

(viii) उन शक्तियों का प्रयोग,जो राज्य सरकार द्वारा उन्हें सौपें जाए।

ग्राम पंचायतों के कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए निम्न समितियों का निर्माण किया गया -

1. **विकाय समिति-**इसका मूल कार्य कृषि,ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण विकास योजनाओं का निर्माण करना है।
2. **शिक्षा समिति-**इसके द्वारा ग्राम पंचायत शौक्षिक कार्यों का प्रबंध करती है,तथा 73वें संविधान संशोधन के बाद प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों

पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया है। जिसके द्वारा ग्राम पंचायतें प्राथमिक शिक्षा में भोजन प्रबंध से लेकर छात्रवृति के आवंटन तक विघालयों के कार्यों की निगरानी करती है।

3. **लोकहित समिति-**इसके द्वारा जन स्वास्थ्य एवं कार्यों से संबंधित कार्यों या मामलों की देखभाल की जाती है।
4. **समता समिति-**इसके द्वारा महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गो के लोगों के कल्याण के लिए कार्य संपादित होते है।

पंचायतों के अधिकार-

- राज्य विधानसभा द्वारा विधि निर्माण करके पंचायतों को लगाने एवं वसूलने की शक्ति प्रदान कर सकती है।
- सामाजिक आर्थिक विकास की योजनायें तैयार करना तथा इन योजनाओं को लागू करना।

पंचायतों का क्या अधिकार नहीं है।

- पंचायतों को विधि निर्माण का अधिकार नहीं है।
- अनुच्छेद 243,(GO) में प्रावधान है,कि पंचायतों और नगर पालिकाओं को प्राप्त होने वाले विषय राज्य सरकारों के द्वारा दिए जाएँगे।

पंचायतो का विस्तार

अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार (Panchayat Extension Act for Scheduled Areas PESA)

- 1995 में पंचायती राज का अनुसूचित क्षेत्रों में भी विस्तार कर दिया गया। (Panchayat Extension for Scheduled Area Act)
- दिलीपसिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक समिति (1996) ने यह अनुशंसा की कि पंचायतों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों में भी होना चाहिए। इन पंचायतों में ज्यादातर अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नहीं चाहिए।

Note-83वें संविधान संशोधन द्वारा अरूणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नहीं होगा।

- यह कानून उन स्थानों हेतु निर्मित किया गया है,जहाँ पंचायती अधिनियम,1993 नहीं लागू होते है। यह कानून वर्ष-1994 में निर्मित हुआ तथा वर्ष-1996 में लागू हुआ। यह मुख्यतः पाँचवी अनुसूची वाले क्षेत्रों के लिए है। ये अधिसूचित क्षेत्र,जनजातीय प्रचान क्षेत्र है। इन अधिसूचित क्षेत्रों में सामान्य पंचायती राज कानून लागू नहीं होता है।

भिन्नता का आधार

- जनजातीय जीवन पद्धति व संस्कृति को ध्यान में रखकर जनजातीयों के लिए इस कानून में विशेष व्यवस्था किया गया है। इस कानून के अंतर्गत् संबोधित ग्रामों को प्रधानता दो गई। ग्राम सभा को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्णय करने को शक्ति दो गई है। अतःइसमें विशेष तौर पर कहा गया है,कि जनजातीय परपराओं उनका संस्कृति,सामुदायिक संसाधनों व विवादों के निपटारे के परमरागत आर्थिक विकास की योजनाओं व कार्यक्रमों को अंतिम सहमति देती है,तथा गरीबी उन्मूलन व अन्य कार्यक्रमों के संदर्भ में लाभान्वितों का चयन भी ग्राम सभा ही करती है। इसकी निम्न विशताएं है-

(i) यह अधिनियम भारत के 9 राज्यों में लागू है।

(ii) इन क्षेत्रों में ग्राम सभा में कम से कम आधी सीट जनजातीय के लिए आरक्षित रहेगी।

(iii) सभी स्थानीय संस्थाओं के अध्यक्ष का पद जनजातीय लोगों के लिए आरक्षित किया गया है तथा भूमि अधिग्रहण व खनन के लिए सरकार द्वारा ग्राम सभा तथा पंचायतों से विचार विमर्श किया जाएगा।

(iv) खनिज के उत्पादन के लिए लाइसेंस देने से पहले इनकी अनुशंसा ली जाएगीं।

KOTHARI INSTITUTE

(v) इन पंचायती संस्थाओं को ऋण व्यवस्था के नियंत्रण करने की शक्ति दी गयी।

(vi) ग्रामीण बाजारों का विनिमयन व भूमि बिक्री को रोकने के संदर्भ में इन संस्थाओं को विशेष अधिकार दिये गये है।

(vii) इस कानून में महिला आरक्षण की भी व्यवस्था है

कमियाँ

➤ इस अधिनियम के महत्वपूर्ण कमी यह है,कि यह कानून जिन क्षेत्रों में लागू है,वहाँ पर जनजातियों से संबंधित अन्य कानून भी लागू है,परंतु दोनों में संतुलन का अभाव है। इस कानून में ग्राम सभा व ग्राम सभा पंचायतों को अधिकतर राज्यों में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं कराये गए है।

महत्व-

➤ अब तक 94 जिलों में पेशा कानून लागू है,जिनमें से 32 जिले मॉओवाद से प्रभावित है। इन इलाकों में स्थिति बहुत खराब है। जैसे छतीसगढ़ एवं उड़ीसा। इन इलाकों में पैसा के प्रभावी कार्यान्वयन से वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने में सहायता मिल सकती थी,क्योकिं इन इलाकों में मुख्य समस्याएँ निम्नलिखित है-

(i) जनजातीय लोगों की भूमि छिन जाना।

(ii) आजीविका को खतरा।

(iii) उनकी सामूहिक पहचान के लिए खतरा।

(iv) उनके सांस्कृतिक प्रतीकों को क्षति पहुँचाना।

कहाँ प्रयोग नहीं हो पा रहा

➤ नागालैण्ड,मिजोरम एवं मेघालय के अनुसुचित व जनजातिय क्षेत्रों में,मणिपुर राज्य की जनजातियाँ परिषदों में,पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के स्वायतशासी पर्वतीय क्षेत्र में इसका प्रयोग नहीं है।

विभिन्न राज्यों में पंचायतों के खण्ड पर विभिन्न नाम-

(i) आंध्र प्रदेश,बिहार,उड़ीसा एवं पंचायत समिति।

(ii) उत्तर प्रदेश में → क्षेत्र समिति एवं पंचायत समिति।

(iii) असम में → आँचलिक पंचायत समिति।

(iv) पश्चिम बंगाल में → आँचलिक परिषद्।

(v) मध्य प्रदेश में → जनपद पंचायत।

(vi) कर्नाटक एवं गुजरात में → तालुका परिषद्।

(vii) तमिलनाडु में → पंचायत संघ।

जिलापरिषदों के विभिन्न नाम

प्रदेश	जिला परिषदों के विभिन्न नाम
1. असम	महात्मा परिषद्
2. तमिलनाडु एवं कर्नाटक।	जिला विकास परिषद्।
3. पंजाब,आंध्रप्रदेश,गुजरात, महारष्ट्र,हरियाणा,राजस्थान, उड़ीसा,उत्तरप्रदेश,प. बंगाल।	जिला परिषद्।

पंचायती राज और सामाजिक न्याय

➤ पंचायती राज के माध्यम से भारत में सामाजिक न्याय प्रदान किया गया है। लोगों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए पंचायतों द्वारा निम्नलिखित कार्य किये गया है।

➤ ग्रामसभा अपनी योजनायें अपनी बैठकों के माध्यम से बनाती है। जिससे स्थानीय लोगों को सुविधायें देने में आसानी होती है।

➤ ए.पी.एल.तथा बी.पी.एल.कार्ड का निर्धारण ग्राम प्रधान द्वारा किया जा रहा है।

➤ खाद्य सुरक्षा बिल,मिड–डे मील योजना तथा सार्वजानिक वितरण प्रबंधन भी ग्राम प्रधान द्वारा किया जा रहा है।

(iv) प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के विघालयों का प्रबंधन भी ग्रामप्रधान द्वारा किया जा रहा है।

पंचायती राज और मनरेगा (MNREGA)

➤ मनरेगा को 2 फरवरी,2006 से 200 जिलों में लागू किया गया तथा बाद में 1 अप्रैल,2008 से इसे समूचे भारत में लागू कर दिया गया ।

➤ मनरेगा,एक योजना नहीं, अपितु अधिनियम है। योजना एवं अधिनियम के मध्य एक महत्वपूर्ण अंतर है,कि योजना को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन अधिनियम सामान्यतः स्थायी होता है।

- मनरेगा के माध्यम से संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णितों कार्य के अधिकार को कानूनी रूप प्रदान की गई है।
- मनरेगा के द्वारा गांव के लोगों को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार अनिवार्य रूप से दिया जाता है।
- इसके अंतर्गत् गांव के लोगों को गांव के विकास से संबंधित कार्य दिये जाते है।
- गांव के व्यक्तियों को गांव में ही रोजगार मिल जाता है।
- मनरेगा का क्रियान्ववयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है।
- मनरेगा द्वारा प्रदान की गयी समूची धनराशि सीधे ग्राम प्रधान के पास भेजी जाती है।
- मनरेगा के अंतर्गत् किन लोगों को रोजगार दिया जायेगा । इसका निर्धारिण ग्रामसभा के द्वारा किया जाता है।

पंचायती राज की कमियाँ

- भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा भारी मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के बावजूद अभी भी पंचायतों के समक्ष वित्तीय समस्यों का अभाव है।
- पंचायतों के पास अपने पदाधिकारी भी नहीं है। सामान्यतः अखिल भारतीय सेवक या राज्यों के अधिकारों पंचायतों का प्रशासन करते है।
- अधिकांश राज्यों ने अभी भी 29 विषय में वर्णित पंचायती राज की शक्तियों को उन्हें नहीं सौंपा है। अधिकांश राज्यों में अभी भी जिला नियोजन समिति का गठन नहीं हो सका है,और जनपद ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) से कार्य चल रहा है।
- अभी भी राज्य और संघ सरकारों के द्वारा पंचायतों के संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। जैसे,जल संभरण कार्यक्रम (Water Shed Programme), संयुक्त वन समिति जिसका प्रशासन राज्य सरकार सीधे अपने अधिकारियों या अपने मंत्रियों द्वारा करती है।
- 1995 में सरकार के द्वारा 'संसादन विकास कोष'(MPLAD) का गठन किया गया। जिसके अंतर्गत् सांसदों को प्राप्त धन सीधे जिलाधिकारी के द्वारा खर्च किया जाता है। इस पर पंचायतों का कोई नियंत्रण नहीं होता। प्रत्येक सांसद को स्थानीय विकास कोष के अंतर्गत् 5 करोड़ रूपये की राशि प्रतिवर्ष दी जाती है। वेंकट चलैया आयोग ने इसे समाप्त करने की अनुशंसा की है।
- समाज अभी भी पितसत्तात्मक है वृक्षा समाज में गरीबी,अभाव, निरक्षता व्याप्त है। इसलिए भारत में पंचायतों के क्रियान्वयन में अनेक बाधाएँ है।
- राज्य नेतृत्व के द्वारा पंचायतों के स्थानीय नेतृत्व को उभरने को हतोत्सहित किया जाता है,जिससे राज्य और संघ के नेताओं का परपरागत वर्चस्व कायम रहे।

74वें संविधान संशोधन

(नगर पालिकाओं का प्रावधान)

- 1 जून,1993 को भारतीय संसद ने 74वाँ संविधान पास किया,जिसके तहत संविधान में 12वें अनुसूची तथा एक नयी अध्यक्ष 'अध्यन-9(A)' जोड़ा गया,जिसमें नगरीय प्रशासन को 18 विषय सौपे गए है। भारत में तीन प्रकार की नगर पालिका का निर्माण किया गया है।

(i) ऐसे क्षेत्र,जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर में परिवर्तित हो,रहे उनमे नगर पंचायत का गठन होगा।

(ii) छोटे नगर क्षेत्रों के लिए, नगर परिषद् का प्रावधान है।

(iii) बड़े महानगर क्षेत्रों के लिए,नगर निगम का प्रवधान है।

- 74वें संविधान संशोधन में जिला नियोजन समिति और महानगर योजना समिति का निर्माण किया गया है। इसका द्वारा पूरे जनपद के लिए योजनाओं का निर्माण होता है,इसमें जनसंख्या के अनुपात में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के प्रतिनिधि होते है। इसी जिला नियोजन समिति के द्वारा वर्तमान समय में विकेन्द्रित योजना के आधारभूत योजना का निर्माण होता है।

KOTHARI INSTITUTE

नगर पालिकाओं से संबंधित मुख्य प्रावधान स्वायत्त शासन की संस्थाएं-

(i) नगर पंचायत,ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में परिवित्ति हो रहा है। (10,000 से 20,000 की जनसंख्या के लिए)

(ii) नगर परिषद्,छोटे नगर क्षेत्र के लिए।(20,000 से 3 लाख की जनसंख्या के लिए)

(iii) नगर निगम,बड़े नगर क्षेत्र के लिए (3 लाख से अधिक जनसंख्या के लिए)

नगर पालिकाओं का गठन

नगर पालिकाओं के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होगा। नगर पालिका ने नगर प्रशासन में अनुभव रखने वाले विशेष व्यक्तियों की प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। लोकसभा,राज्यों के विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद् के सदस्यों का प्रतिनिधित्व एवं वार्ड समितियों के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व होगा।

वार्ड समितियाँ- 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका के क्षेत्र में आने वाली दो या दो से अधिक वार्डों के लिए वार्ड समितियाँ बनाना आवश्यक है। वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान,राज्य विधान मण्डल के द्वारा किया जायेगा।

नगर पालिकाओं के प्रावधान- अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में आपरक्षण दिया जायेगा। इस आरक्षण में अध्यक्ष का पद भी शामिल होगा। इसका निर्धारण राज्य विधान मण्डल के द्वारा होगा। एक तिहाई आरक्षण महिलाओं के लिए भी होगा। राज्य विधान मण्डल द्वारा पिछड़ी जातियों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान करेगा।

नगर पालिकाओं का कार्यकाल– नगर पालिकाओं का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा। नगर पालिरकाओं के विघटन के 6 महीने की अवधि के भीतर निर्वाचन कराना आवश्यक है। परंतु नगर पालिका का कार्यकाल यदि 6 महींने से कम बचा है,तो निर्वाचन समूचे 5 वर्ष के लिए कराना होगा।

सदस्यता के लिए योग्यता- इसमें निर्वाचित होने के लिए 21 वर्ष की आयु आवश्यक है। व्यक्ति,राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के लिए योग्य होना चाहिए।

राज्य निर्वाचन आयोग– नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है,जिसका कार्य,नगर पालिका चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली का निर्माण करना तथा चुनाव पर नियंत्रण और निगरनी रखना। नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसोमन का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। नगर पालिकाओं के चुनाव में गड़बड़ी एवं विवाद का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। लेकिन इसे उच्च न्यायलय के न्यायाधीश की भाँति हटाया जायेगा।

राज्य वित्त आयोग

74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत् राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष को नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी। राज्य वित्त आयोग के कार्य निम्नलिखित है-

(i) राज्य और नगर पालिकाओं के द्वारा लगाये जाने वाले शुल्क का निर्धारण और उनके बीच विभाजन करना। शुल्क,पत्थर और फीस का बँटवारा करना और नगर पालिकाओं के विभिन्न स्तरों में उनको प्रदान करना।

(ii) कौन से कर,शुल्क,पत्थर और फीस नगर पालिकाओं को दिया जा सकते है।

(iii) नगर पालिकाओं को सहायता या अनुदान देना।

(iv) नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय।

(v) कोई अन्य विषय,जो राज्यपाल दे।

राज्य वित्त आयोग

- राज्य संविधान संशोधन के अंतर्गत् राज्य वित्त आयोग की गई है।
- राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्त राज्यपाल के द्वारा होगी।
- राज्य वित्त आयोग के कार्य निम्नलिखित है-
- राज्य और पंचायतों के द्वारा लगाये जाने वाले शुल्क का निर्धारण और विभाजन करना। शुल्क,पथकर और फीस का बँटवारा करना और पंचायतों के विभिन्न स्तरों में उनकों प्रदान करना।

(ii) कौनसे कर, शुल्क,पत्थर और फोस पंचायतों दिए जा सकते है।

(iii) पंचायतों को सहायता अनुदान देना।

(iv) पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय।

(v) कोई अन्य विपय जी राज्यपाल दे।

जिला योजना और महानगर योजना समिति

जिला स्तर पर जिला योजना समिति एवं प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर योजना समिति।

गठन-

- राज्य विधामण्डल इन समितियाँ के गठन के लिए विधि बनायेगा। परंतु इन समितियों के गठन में निम्नलिखित तरीका अपनाया जायेगा।

(i) जिला योजना की दशा में कम से कम 4/5 सदस्य जिला स्तर की पंचायत और जिले की नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों मे से निर्वाचित किये जायेगें, उनका अनुपात जिले में नगर और ग्राम की जनसंख्या के अनुपात में होगा।

(ii) महानगर योजना समिति की दशा में समिति के कम से कम 2/3 सदस्य नगर पालिका के सदस्यों और नगर पालिका क्षेत्र में पंचायत के अध्यक्षों द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे तथा स्थानों का बंटवारा उस क्षेत्र में नगर पालिकाओं और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात में होगा।

- राज्य का विधान मण्डल,विधि द्वारा निम्नलिखित के बारे में नियम बना सकेगा,

(i) जिला योजना के संबंध में कौन से कार्य जिला समितियों को सौपें जा सकते है।

(ii) जिला समिति के अध्यक्ष के चुने जाने का तरीका तय करना।

- समिति विकास योजना बनाकर राज्य सरकार को भेजेगी। महानगर योजना समिति,संपूर्ण महानगर क्षेत्र के विकास की योजना तैयार करेगी। राज्य विधान मण्डल उस समिति के बारे में विधि द्वारा निम्नलिखित के लिए नियम बनायेगा-

(i) केन्द्र-राज्य सरकारों व सगठनों व संस्थाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में।

(ii) महानगर क्षेत्र के लिए योजना और सहकारिता से संबंधित कार्य।

(iii) इन समितियों के अध्यक्ष के चुने जाते का तरीका।

- जो विकास योजनाएं बनाई जाती है,वे राज्य सरकार को भेजी जायेंगी।

जिला नियोजन समिति

- जिला नियोजन समिति,जिला स्तर पर विकास योजना बनाने वाली सबसे बड़ी समिति है। इसका निर्माण अनुच्छेद 243-D के तहत किया गया है। जिला नियोजन समितियों,जम्मु एवं कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड तथा दिल्ली को छोड़कर देश के सभी हिस्सों में लागू किया गया है। इन राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों ने जिला नियोजन समिति संबंधी कानून बना लिया है।

सरंचना

- यह समिति सामान्यतःग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित की जाती है। समिति के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जिलों की जनसंख्या के आधार पर होता है। अधिक जनसंख्या वाले

KOTHARI INSTITUTE

जिलों में अधिक सदस्य होते है तथा ग्रामीण एवं शहरी निकायों से कितने प्रातिनिधि लिए जाऐगे, इसका निर्धारण भी ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के अंनुपात के आधार पर किया जाता है।

अध्यक्ष-

- जिला नियोजन समितियों के अध्यक्ष का चुनाव अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीको से होता है,जो इस प्रकार से है-

(i) कुछ राज्यों जैसे-केरल, बिहार, कर्नाटक, प्रदेश, तमिलनाडु एवं राजस्थान में जिला परिषद् का अध्यक्ष, जिला नियोजन समिति का अध्यक्ष होता है।

(ii) कुछ राज्यों में जिले से संबंधित राज्य का कैबिनट मंत्री, जिला नियोजन समिति का अध्यक्ष होता है। जैसे उड़ीसा,गुजरात मण्डल, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र।

(iii) कुछ राज्यों में जिलों का डिप्टी कमिश्नर,जिला नियोजन समिति का अध्यक्ष होता है। जैसे-हरियाणा।

कार्य व भूमिका

(i) यह ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों हेतु विकास योजना तैयार करने में एक नोडल एजेन्सी की तरह कार्य करती है तथा यह सामाजिक आर्थिक न्याय हेतु नियोजन बनाने हेतु जिम्मेवार है।

(ii) यह समिति पंचायतों एवं नगर निगमों के मध्य सामान्य हितों के लिए भी योजना तैयार करती है। तथा सोपानीरकृत योजना भी तैयार करती है, यह जिससे प्राकृतिक संसाधनों,आधार संरचना एवं पार्यावरण संरक्षण जैसे विषय सम्मिलित होते है।

- इसके अतिरिक्त यह समिति ग्रामीण तथा शहरी नियोजन के सुदृढ़ीकरण हेतु जिम्मेवार हेतु जिम्मेवार है। यह समिति शहरी क्षेत्रों के प्रसार को दृष्टि से भी योजना में विचार करती है।

शहरी स्थानीय निकायों के अन्य रूप

(नोटीफॉइट एरिया कमेटी)-

- इसकी स्थापना सरकार के गजट में 'नोटीफिकेशन' (Notication) के द्वारा होती है। इसलिए इसे 'नोटीफॉइट एरिया कमेटी'(Notified Area Committee) के नाम से जाना जाता है।
- यह नगर पालिका की भाँति पूर्णतःनिर्वाचित न होकर एक मनीनीत संख्या है।
- यह राज्य म्यूंनिसिपल अधिनियम के अंतर्गत् कार्यरत होती है। जिसे कुछ स्वंतत्र शक्तियाँ दे दी जाती है।
- इसका निर्माण दो प्रकार के दोनों के लिए किया जाता है-

(i) औद्योगिकीकरण के कारण विकसित होते नए शहर में।

(ii) ऐसे शहर,जिसमें अभी म्युनिसीपल सरकार का निर्माण संभव न हो।

टाउन एरिया कमेटी

- टाउन एरिया कमेटी एक अर्द्ध नगर पालिका संस्था है। जिसके द्वारा सीवेज और सड़क पर प्रकाश की व्यवस्थाएँ की जाती है।
- इसका निर्माण सामान्यतःछोटे कम्बाई नगरों के प्रशासन हेतु किया जाता है।
- टाउन एरिया कमेटी पूर्णतः निर्वाचित या पूर्णत; मनोनीत हो सकती है।
- यह राज्य विधानसभाओं के एक अलग अधिनियम द्वारा निर्मित होती है।

छावनी परिषद् (Cantonment Borad)

- 1924 में केन्द्र सरकार एवं रक्षा मंत्रालय के द्वारा छावनी परिषद् अधिनियम का निर्माण किया गया।
- इन परिषदों का निर्माण कैंट क्षेत्र में नागिरक जनसंख्या के प्रशासन के लिए किया गया।
- छावनीं परिषद् आंशिक रूप में निर्वाचित एवं आशंक रूप में मनोनीत होती हैं।
- वर्तमान में देश में 63 छावनीं परिषद् है। जिन्हें जनसंख्या के आधार पर पहली दूसरी व तीसरी श्रेणीयों में विभाजित किया गया।

- निर्वाचित सदस्य तीन वर्ष के लिए अपना पद ग्रहण करते है।
- कैंटोनमेंट क्षेत्र का कमांडिग ऑफिसर,इसका प्रशासनिक अधिकारी होता है। जबकि उपाध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से होता है।

पत्तन परिषद् (Port Trust)-

- इनका निर्माण मुंबई कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों के लिए किया गया है।
- इनका मूल उदेश्य निम्नलिखित है-

(i) पत्तन का प्रबंध एवं उसकी रक्षा।

(ii) नागरिक सुविधाएं प्रदान करना।

- पत्तन परिषदों का निर्माण संसदीय अधिनियमों द्वारा हुआ है। इसमे निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते है।
- सामन्यतः इसके चेयरमैन पत्तन के अधिकारी ही होते है।

एवं स्थानीय निकाय टाउनशिप (Township)

- एक ऐसे औद्योगिक निकाय के निकट स्थित हाउसिंग कालोनी का नागरिक प्रबंध करने के लिए टाउनशिप की स्थापना की जाती है।
- टाउनशिप का नियंत्रण एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा होता है। जिसे सामान्यतःकपंनी के इंजीनिय अथवा अन्य अधिकारी सहायता प्रदान करते है।

73वें व 74वें संविधान संशोधन की सम्मिलित विशेषताएँ-

(i) पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए एक राज्य चुनाव आयोग का निर्माण जिसका मूल कार्य केवल पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचन नामावली की निर्माण और चुनाव है।

(ii) राज्य और पंचायतों के मध्य वित्त के विभाजन के लिए एक राज्य वित्त आयोग का निर्माण।

(iii) पंचायतों और नगर पालिकाओं दोनों की कार्यवधि- 5 वर्ष है।

(iv) पंचायतों के विघटित होने के 6 महीने की समय सीमा में निर्वाचन कराना आवश्यक होने।

(v) पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचन में भागीदारी के लिए 21 वर्ष आयु (न्यूनतम) निर्धारित की गई है।

(vi) पहली बार 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन से पंचायतों और नगर पालिकाओं, दोनों के लिए प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एण, एऊ) के लिए आरक्षण है। साथ ही संशोधन में यह भी वर्णित है, कि अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण, राज्य सरकार द्वारा होगा।

(vii) पंचायतों और नगर पालिकाओं, दोनों में सभी स्तरों पर महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण होगा।

○○○○○

KOTHARI INSTITUTE

जिला और स्थानीय प्रशासन

1. राजस्व, कानून एवं व्यवस्था तथा विकास प्रशासन में जिला कलेक्टर की भूमिका

भारत जैसे विशाल देश में जहां राजकीय इकाइयां यूरोप के अनेक सार्वभौम राष्ट्रीय राज्यों से भी क्षेत्रफल में बड़ी हैं, जिला प्रशासन जैसी क्षेत्रीय इकाइयों का अपना महत्व हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से भी भारत में 'जिला व्यवस्था' मध्यकालीन प्रशासन व्यवस्था का आधार थी। अंग्रेजी शासनकाल में जिलाधीश को राज्य की 'रीढ़ की हड्डी' माना जाता था। स्वाधीनता के 54 वर्षों के बाद भी आज यह धारणा प्रशासन के सभी स्तरों पर समान रूप से पाई जाती है कि भारतीय प्रशासन का यह मेरूदण्ड अभी लम्बे समय तक आधारभूत प्रशासन के रूप में चलता रहना चाहिए। लोक प्रशासन की दृष्टि से भारत का जिला प्रशासन दुहरी इकाई। राज्य सरकार की राजधानी से नीचे का क्षेत्रीय प्रशासन होने के ना जिला प्रशासन सरकार की समग्रता का प्रतिनिधित्व करता है।

दूसरी ओर जिला ही वह छोटी इकाई है, जो युगों से भारत में स्थानीय स्वराज्य का प्रारूप प्रस्तुत करता रहा है। इस प्रकार सामाजिक और राजनीतिक जीवन के दो महत्वपूर्ण कार्य, 'सुरक्षा' एवं 'विकास' जिला प्रसासन की परिधि में आ जाते हैं।

प्रशासनिक स्वतन्त्रता एवं कार्य-कुशलता के लिए इसे जनसंख्या एवं भूगोल की दृष्टि से भी उपयुक्त एवं पर्याप्त इकाई माना जाता है। राज्य एवं केन्द्रीय सरकार से मिलने वाले नीति निर्देश को जिला प्रसासन कार्यान्वित करता है। किन्तु दूसरी ओर राज्यस्तरीय नीतियों के निर्माता विधायक और यहां तक कि सासंद भी राजनीतिक दृष्टि से अपना आधार एवं प्रभाव जिला स्तर से ही ग्रहण करते हैं। पंचायती राज के प्रादुर्भाव ने इस स्तर को सशक्त किया है और जन प्रतिनिधियों की राजनीति के कारण जिला प्रशासन की नौकरशाही का लोकन्त्रीकरण हुआ है।

भारत में जिला प्रसासन : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अकबर के समय में जिले को 'सरकार' कहा जाता था तथा इसके प्रसासक का नाम 'मनसबदार' था। जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत में व्यापार करती थी तो उसके व्यापार को जो एक निस्चित क्षेत्र होता था उसे उसने 'ड्रिस्ट्रिक्ट' कहना शुरू कर दिया। बाद में जब ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधा प्रसासन करना आरम्भ कर दिया तब भी यह इकाई बनी रही तथा 'कलेक्टर' इस इकाई के एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता के रूप में दायित्व पूर्ति करता रहा। सन् 1772 में वारेन हेस्टिंग्ज ने राजस्व, कानून और व्यवस्था को मिलाकर कलेक्टर के पद को सशक्त रूप में प्रस्तुत किया। सन् 1781 में इस पद को और अधिक मजबूत किया गया। स्वतन्त्रता के बाद भारत में जिला ही क्षेत्रीय प्रशासन की मुख्य इकाई बना रहा है। जहां तक भारतीय संविधान का प्रश्न है, उसमें कहीं भी जिले को प्रशासनिक इकाई बनाने का उल्लेख नहीं है। स्वतन्त्रता के बाद जिला प्रशासन के लक्ष्यों, कार्यों तथा दायित्वों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं, इससे उसका कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत तथा स्थिति अधिक मजबूत हुई है।

जिला प्रशासन की इकाई क्यों है?

यह एक विचारणीय प्रश्न है कि भारत में जिले को आखिर प्रशासन की इकाई क्यों बनाया गया है? संविधान में कहीं भी जिले को प्रशासनिक इकाई बनाने का उल्लेख नहीं किया गया हैं तथापि यह भारतयी प्रसासन की प्रमुख इकाई है। इसके मुख्य कारण निम्न हैं-

(1) क्षेत्रीय प्रशासन की इकाई–भारत की जिला क्षेत्रीय प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाई है। यह भौगोलिक दृष्टि से पर्याप्त सुविधाजनक है। इसका आकार न बड़ा है और न अधिक छोटा यह संगठन की दृष्टि से भी सुविधाजनक है तथा सार्वजनिक कार्यों के लिए अधिक व्यावहारिक प्रणाली है।

KOTHARI INSTITUTE

(2) ऐतिहासिक निरन्तरता–भारत में जिला प्रसासन इतिहास का परिणाम है। यह समय की परीक्षा में खरा उतरा है। जिला प्रशासन का समर्थन हमें मनुस्मृति जैसे अनेक प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है। अकबर के समय में जिले को 'सरकार' कहा जाता था। ब्रिटिश सासन के समय जिले को क्षेत्रीय प्रसासन की इकाई बना दिया गया। स्वतन्त्रता के बाद जिला ही क्षेत्रीय प्रसासन की मुख्य इकाई बना रहा।

(3) सब विषयों से सम्बन्धित–जिला प्रसासनिक स्तर पर सरकार के समस्त कार्यों से सम्बन्धित रहता है। जिला प्रसासन में सरकार के सभी अभिकरण, व्यक्तिगत अधिकारी एवं कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी, आदि शामिल रहते हैं। जिला प्रसासन एक जिले में सरकार के समस्त कार्यों का सामूहिक रूप है।

(4) नागरिकों तथा सरकार के बीच की कड़ी–स्तानीय सरकार का नागरिकों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। इससे नागरिकों तथा सरकारी प्रक्रिया के बीच सम्पर्क के लिए अनेक अवसर प्राप्त होते हैं।

जिला प्रशासन : ढांचा

भारत में जिला प्रसासन का सम्पूर्ण ढांचा एक पदसोपान यूक्त व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है। सामान्यतः इसके स्तर तीन तथा कभी-कभी दो या चार भी होते हैं। वैसे अधिकांश राज्यों में जिले के तीन स्तर मिलते हैं। प्रथम, जिला-इसका मुख्यालय जिले के प्रमुख नगर में होता है। दूसरे, जिले के किसी अन्य स्थान पर अपखण्ड का मुख्यालय और तीसरा, तहसील कार्यालय है। ये तीन स्तर जिले में सामान्य प्रसासन की दृष्टि से बनाए जाते हैं, किन्तु विकास कार्यों के लिए अधिकतर राज्यों में प्रशासन की इकाई 'ब्लाक' है। जिला प्रशासन के तीनों चरण स्तरों पर अधिकारी वर्ग भी उल्लेखनीय है। प्रथम स्तर का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण जिला है तथा इसके अधिकारी है जिलाधीश, जिला कृषि अधिकारी जिला परिषद् के अध्यक्ष, स्वास्थ्य अधिकारी, आदि। बड़े जिलों में दो मध्यवर्ती स्तर पाए जाते हैं जबकि छोटे जिलों में यह स्तर एक ही होता है। इस स्तर पर उपखण्ड अधिकारी या उपखण्ड दण्डनायक होता है। उपखण्ड अधिकारी सामान्यज्ञ प्रशासक होता है। वह तहसीलदार और जिलाधीश के मध्य कानून और शान्ति के मामलों में एक कड़ी का कार्य करता है। उपखण्ड को तहसीलों में बांटा जाता है। इस स्तर के प्रमुख अधिकारी तहसीलदार, विकास अधिकारी, प्रधान, आदि उल्लेखनीय हैं। तहसील का मुख्य अधिकारी तहसीलदार कहलाता है और वह अधीनस्थ सेवा का सदस्य होता है। तहसीलदार को उसके कार्यों में नायब या उप-तहसीलदार, कानूनगों एवं पटवारी सहायता देते हैं। समस्ता राजस्व कार्यों तथा सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य सम्बन्धित कार्यों के लए तहसीलदार कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्न स्तर पर गांव में ग्राम पंचायतें, मुखिया, पटवारी, ग्राम सहायक, आदि आते हैं।

जिला प्रसासन : विकास का नया सन्दर्भ

स्वतन्त्रता के बाद भी भारत में जिला ही क्षेत्रीय प्रशासन की मुख्य इकाई बना हुआ है जिस पर भारतीय लोक प्रशासन का ढांचा खड़ा किया गया है। स्वतन्त्र्योत्तर भारत में जिला प्रसासन के लक्ष्यों, कार्यों एवं दायित्वों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं जिससे उसका कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत तथा स्थिति अधिक मजबूत है। राजू समिति के प्रतिवेदन में भी यह स्वीकार किया गया है कि जिला स्तर पर प्रशासन के पुराने तौर तरीकों में पिछले दो दशकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं।

ये परिवर्तन न केवल तौर-तरीकों में बल्कि उसके कार्यक्षेत्र तथा लक्ष्यों में भी देखे जा सकते हैं। विकास के विभिन्न चरणों में जहां अंग्रेजी राज में इसका लक्ष्य यथास्थिति बनाए रखना, एक राष्ट्रीयता की बाढ़ को रोकना था वहां स्वतन्त्रता के बाद जिला प्रशासन को, अनेक विकास कार्य तथा कल्याणकारी कार्य सौंपे गए हैं तथा इसे जन सामान्य के प्रति उत्तरदायी बनाने की दिशा में उपक्रम हुआ है।

KOTHARI INSTITUTE

जिलाधीश का पद : भूमिका निर्धारण की समस्या

भारत में जिलाधीश का पद ब्रिटिश शासन की देन हैं। इस पद की स्थापना सन् 1772 में भाकत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल में हुई थी। तब से लेकर आज तक जिलाधीश जिला प्रसासन की धुरी रहा है। जिलाधीश का पद सत्ता, सम्पान गौरव और भय का पद रहा है। स्वतन्त्रता के पश्चात् अनेक कारणों से जिलाधीश की स्थिति एवं महत्व में परिवर्तन आए हैं। देश की राजनीतिक व्यवस्था के लोकतन्त्रीकरण से हमारे राज्य ने सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में भी व्यापक सेवाएं प्रदान करना आरम्भ कर दिया है। ऐसी स्थिति में जिलाधीश एक लोककल्याणकारी समाजवादी राज्य का सेवक बन गया है।

अब उसके कार्यों की प्राथमिकताएं पूर्णरूपेण बदल गई हैं। पहले कानून और व्यवस्था की स्थापना करना उसके प्रमुख कार्य था किन्तु उसके लिए अब नागरिकों के विकास तथा जन-कल्याण से सम्बन्धित कार्य महत्वपूर्ण हो गए हैं। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण तथा विकासशील राष्ट्र की अपेक्षाओं ने उसके कार्यों को नई महत्ता दी है। उसकी स्थिति में वर्तमान सन्दर्भ में जो परिवर्तन आया है, उसके दो कारण हैं-प्रथम लोकतन्त्र का विस्तार गांवों तथा अविकसित क्षेत्रों की ओर हुआ है जिसके कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक से अधिक व्यक्ति भाग लेने लगे हैं। लोकतन्त्र के इस उभरते स्वरूप से प्रशासक वर्ग एवं राजनीतिज्ञों में पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया बढ़ी है। द्वितीय पंचायती राज तथा विकास प्रशासन को चलाने का नया उत्तरदायित्व जुड़ जाने के कारण जिला प्रसासन में जिलाधीश का नियन्त्रण, जिलाधीश की सत्ता, कर्तव्यों एवं दायित्वों को नई दिशाएं दी हैं।

जिलाधीश : भर्ती एवं सेवा शर्ते

जिलाधीश साधारणतः भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। वह या तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अथवा राज्य प्रसासनिक सेवा में पदोन्नत पदाधिकारी होता है। प्रत्यक्ष भर्ती वाले जिलाधीश नवयुवक एवं पदोन्नत जिलाधीश प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं। सामान्यतः भारतीय सन्दर्भ में राज्य सिविल सेवाओं से पदोन्नति द्वारा जिलाधीश अधिक बनाएँ गएं हैं। कई राज्यों में यह स्थिति बढ़ी हुई देखने में आती हैं। जिलाधीश का पद राज्य प्रशासन में वरिष्ठ पद होता है। आई. ए. एस. में उसका चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है तथा उसे राज्य संवर्ग में नियुक्ति दी जाती हैं। भारत सरकार द्वारा उसकी सेवा शर्तों का नियमन किया जाता है किन्तु वह राज्य सरकार के लिए कार्य करता है। उसकी सेवा की शर्तें जैसे, वरिष्ठता का नियमन, आचार सम्बन्धी नियम, अनुशासन, यात्रा भत्ते, आदि केन्द्र सरकार के नियमों द्वारा निर्धारित होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत् उसे कार्यालय की सुरक्षा प्रदान की गई है जिसके अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई भी अधिकारी केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना निलम्बित नहीं किया जा सकता है और न ही पदादनूब किया जा सकता है।

जिलाधीश के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

जिलाधीश को अनेक कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। वास्तविकता तो यह है कि उसके कार्यपरिभाषित होने के स्थान पर अपरिभाषित अधिक हैं। वह अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह चार रूपों में करता है। ये चार रूप हैं-

(1) राजस्व अधिकारी के रूप में,

(2) जिला प्रशासक के रूप में,

(3) जिला मजिस्ट्रेट (दण्डादिकारी) के रूप में, और

(4) जिला विकास अधिकारी के रूप में

राजस्व अधिकारी के रूप में वह लगभग बीस प्रकार के कार्यों का सम्पादन करता है। इनमें से कुछ कार्य है : राजस्व, नहरी बकाया एवं बकायों का संग्रहण, तकाबी ऋण का वितरण और वसूली, फसलों की क्षति का अनुमान लगाना तथा राहत के लिए सिफारिशें करना, विपत्ति तकावी कावितरण, अग्निकाण्ड से पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाना, भू-अधिग्रहण कार्य, वर्षों, फसल, आदि से सम्बन्धित सभी प्रकार की कृषि सांख्यिकी

का संग्रहण, कोषालय और उपकोषालय का अधीक्षण, जागीर उन्मूलन, मुआवजा भुगतान, मुद्रांक अधिनियम को प्रवर्तित करना, बाढ़, अकाल, आगजनी, अतिवृष्टि आदि प्राकृतिक विपदाओं के समय राहत कार्य, आदि।

जिला प्रशासन के रूप में वह लगभग तीस कार्योंका सम्पादन करता है। कुछ मुख्य कार्य हैं : जिले के तहलीदारों एवं नायब तहसीलदारों की पदस्थापना, स्थानान्तरण एवं अवकाश स्वीकृति, कलेक्टर कार्यलय, उपखण्ड कार्यलय, तहसील, आदि कार्यलयों में दफ्तरी अमले की नियुक्ति करने व उन्हें दण्ड देने, कनिष्ठ अधिकारियों को कार्यलय प्रक्रिया, प्रशासनिक कार्य एवं व्यक्तिगत आचरण में प्रशिक्षित करना, जनता एवं अधिकारियों से भेंट करना, जिले में सरकारी वकील नियुक्ति करना तथा वकीलों का पैनल तैयार करना, आदि।

जिला दण्डाधिकारी के रूप में वह पैंतीस से अधिक कारयों का सम्पादन करता है। जैसे ले में फौजदारी प्रशासन का संचालन करना, जेल और पुलिस का नियन्त्रण रखना, सार्वजनिक सान्ति और व्यवस्था भंग होने की आशंका होने पर आदेश प्रचारित करना, श्रम समस्याओं तथा हड़ताल, आदि से सम्बन्धित कार्य, पेड़ों को काटने के लिए परमिट प्रदान करना, नजूल भूमि का प्रशासन, प्रेस अधिनियम को प्रवर्तित करना, पारपत्र एवं वीसा प्रदान करने की सिफारिश करना, अधिवा, अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति और जनजाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र देना और सथानीय संस्थाओं का निरीक्षण एवं नियन्त्रण आदि।

जिला विकास अधिकारी के रूप में-स्वतन्त्रता के बाद कलेक्टर के विकास कार्य महत्वपूर्ण बने हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों और पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के फलस्वरूप जिलाधीश विकास अधिकारी के रूप में भी कार्य करने लगा हैं। जिले में विकास कार्य का समन्वय करना, विकास कार्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं का निराकरण करना, विकास कार्यों के सम्बन्ध में सामयिक एवं तात्कालिक प्रतिवेदन उच्च अधिकारियों को भेजना, आदि। उसके प्रमुख उत्तरदायित्व हैं। वह जिले के विकास तथा समाज कल्याण विभागों के अध्यक्षों को निर्देशन, परामर्श एवं सहयोग प्रदान करता है। जिले के विकास अधिकारियों के सम्बन्ध में जिलाधीश को प्रशासनिक और अनुशासननात्मक नियन्त्रण की शक्तियां प्राप्त हैं। उसको पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वह अनेक राज्यों में जिला परिषद् का पदेन सदस्य होता है। वह जिला परिषदों की बैठकों में भाग लेता है। वह पंचायत समितियों एवं पंचायतों पर बाहर से नियन्त्रण रखता है तथा यह देखता है कि उक्त संस्थाएं अपने क्षेत्राधिकार में रहकर अपने उत्तरदातियों का निर्वाह करती हैं या नहीं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा सम्पन्न किए जाने वआले कार्यों की सूची पर्याप्त लम्बी है। आज वह अतीत की भांति एक लाइन अभिकरण न रहकर एक स्टाप अभिकरण बन गया है। आज से लगभग बीस वर्ष पूर्व जिला राजस्व कार्यलय पुनर्गठन समिति, बम्बई ने जिलाधीश के कार्यभार का विश्लेषण किया था। समिति के विश्लेषणानुसार जिलाधीश को प्रति वर्ष 2,975 घण्टे कार्य करना पड़ता है।

रविवार, अर्ध शनिवार एवं अवकाशों के दिनों को छोड़कर गणना करने पर जिलाधीश को एक दिन में ग्यारह से तेरह घण्टे तक कार्य करना होता है। स्पष्ट है कि जिलाधीश पर कार्य का अत्यधिक भार है। पंचायती राज ने उसके कार्यभार को और भी बढ़ाया है। मई 1988 में आयोजित चार-दिवसीय कलेक्टर सम्मेलन (जयपुर) में कलेक्टरों पर अत्यधिक कार्यभार की बात भी आई थी और एक कलेक्टर ने बताय कि वह 38 समितियों का अध्यक्ष है। इस भार को कम करने के लिए यह सुझाव दिया गया कि इन समितियों को खत्म करके एक मुख्य समिति बना दी जाए और चार उप समितियां गठित करें जो विषयवार समस्याओं पर चर्चा करें। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 'द कलक्टर्स रिकलेक्ट' में कलेक्टर के बहुधन्धी रोल के बारे में रणजीत सिंह कुमट ने लिखा है, जिला कलेक्टर के कर्तव्य विविधतापूर्ण होते हैं और उससे दुनिया भर के कामों की आशा की जाती है। लेकिन उसका पद संकट की घड़ी में ही

निर्णायक महत्व का होता है। उसका काम मामूली ढर्रे का नहीं होता और संकट से निपटने के लिए उसके सामने न कोई नजीर होती है और न मार्गदर्शन पुस्तिका। उसे तो अपनी सूझबूझ पर और इससे भी ज्यादा अपने सहयोगियों, राजनेताओं और आम जनता के सहयोग पर निर्भर रहता पड़ता है।''

जिलाधीश की बदलती भूमिका : विकास प्रसासन का परिप्रेक्ष्य

विकास प्रशासन के सन्दर्भ में कल्कटर का विकास कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान है। जिला स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यों में समन्वय तथा सहयोग लाने के लिए योजनाओं के निर्माण एंर उनकी उचित रूप से क्रियान्विति के लिए वही जिम्मेदार है। विकास कार्यों में आने वाली बाधाओं के निराकरण का प्रयास भी रही करता है। क्या जिले में एक ही व्यक्ति नियामकीय (Regulatory) तथा विकास कार्य का दायित्व भली-भांति निभा सकता है? क्या कलेक्टर के नियामकीय तथा विकास कार्यों को अलग-अलग कर देना समीचीन होगा? क्या वर्तमान में सामान्यज्ञ प्रशासक (जनरलिस्ट ऐडमिनिस्ट्रेटर) की पृष्ठभूमि वाले कलेक्टर विकास कार्यों की तकनीकी सूक्ष्मतलों को भलीभांति समझते हैं। ऐसा भी सुझाव आया है कि नियमनकारी कार्य कलेक्टर को सौंपे जाएं थथा विकास कार्यों का दायित्व उसी के समतुल्य दर्जे वाले विकासमूलक कार्यों में विशिष्टता रखने वाले विशेषज्ञ प्रशासक को सौंपा जाए।

अशोक मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में सुझाया था कि जिला स्तर पर एक 'मुख्य कार्यापलक अधिकारी' का पद निर्मित किया जाना चाहिए जिसके नियन्त्रण में जिले का विकास सम्बन्धी समस्त प्रशासन रहेगा। इससे जहां तक विकास कार्यों का सीधा सम्बन्ध है उनके सलक्टर को मुक्त किया जा सकेगा। महाराष्ट्र राज्य में जिलाधीश को विकास कार्यों से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है। जिला स्तर पर विकास कार्यों का उत्तरदायित्व प्रमुख कार्यकारी अधिकारी को सौंपा गया है। यह अधिकारी जिलाधीश के स्तर का वरिष्ठ अधिकारी होता है। जिलाधीश और प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के जिलास्तरीय कार्यों में स्पष्ट एवं विवेक-समस्त विभाजन रेखा खींच दी गई है। विकास कार्यों से सम्बन्धित सभी विभागों के जिला स्तर अधिकारी तथा उनके उमले को पूर्णतः प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के नियन्त्रण में रखा गया है। प्रमुख कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् के अन्तर्गत आने वाले स्थानीय विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी है जबकि जिलाधीश बड़ी राज्य योजनाओं और अन्य प्रशासकीय कार्यों के लिए उत्तरदायी है। इस व्यवस्था में जिलाधीश की स्थिति पर किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ा है। सत्य तो यह है कि अब वह अपना कार्य अधिक कुशलता और प्रभावपूर्ण ढंग से करता है। अब शनैः शनैः अन्य राज्य भी महाराष्ट्र प्रतिरूप की ओर आकर्षित होने लगे हैं। इस ओर आंद्र प्रदेश ने पहल की है। जिला स्तर पर नियामकीय कार्यों हेतु जिलाधीश तथा विकास कार्यों हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है। अनुभवों तथा अनुसन्धानों से यह तथ्य सामने आया है कि प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अधिकांशतः नियामकीय कार्यों में अधिक व्यस्त रहते हैं तथा विकास कार्यों के लिए उचित ध्यान नहीं दे पाते हैं जिसका असर विकास प्रशासन पर नकारात्मक होता है। अतः अब यह मांग की जा रही है कि नियामकीय तथा विकास कार्यों के लिए अलग-अलग अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। विकास कार्यों के लिए विशेषज्ञ नियुक्ति किए जाने चाहिए। चूंकि भारत कृषि-प्रधान देश है अतः कृषि तथा विकास हेतु जिला विकास अधिकारी के पद पर कृषि विशेषज्ञ नियुक्ति किए जाने चहिए।

इस प्रकार की व्यवस्था से जहां एक ओर सामान्यज्ञों तथा विशेषज्ञों की समस्या सुलझेगी, दूसरी और विकास एवं प्रशासन में विशेषज्ञ के परिणामस्वरूप विकास प्रसासन को गति मिलेगी तथा ग्राम विकास अधिक तीव्र गति से हो सकेगा। फिर भी कई राज्यों में अभी भी विकास कार्यों का कप्तान कलेक्टर को ही रखा गया है। कई राज्यों में आज भी यह माना जाता है कि विकास कार्य व्यक्तिमत निर्देशन की अपेक्षा रखते हैं जो कि

कलेक्टर के माध्यम से ही सुलभ हो सकती है। विकास कार्यों के लिए प्रभावशाली समन्वयक अपेक्षित है जिसकी पूर्ति केवल कलेक्टर ही कर सकता है। यदि कलेक्टर के पास विकास कार्य ज्यों-के-त्यों बनाए रखे जाते हैं तो उसकी कार्यदक्षता बनाए रखने के लिए जिले का क्षेत्र छोटा किया जा सकता है, उसे प्रोटोकोल कार्यों से मुक्त किया जा सकता है तथा उसके द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली समितियों की संख्या कम की जा सकती है। पंचायती राज के अन्तर्गत लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के सफल संचालन के लिए कलेक्टर की उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

संक्षेप में, पंचायती राज संस्थाओं में जिलाधीश की चाहे कुछ भी सथिति हो, जिला प्रशासन और पंचायती राज संस्थाओं में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। स सम्बन्ध में वी. टी. कृष्णामाचारी के ये विचार अत्यन्त महत्व के हैं : जिलाधीश की भूमिका में परिर्तन हुआ है किन्तु ह्रास नहीं हुआ है क्योंकि उसको अब लोकतान्त्रिक संस्थाओं का पथ प्रदर्शन करने का कार्य प्राप्त है।'' संकटकाल में आज भी सरकार जिलाधीश की ओर देखती हैं। आज भी जिलाधीश सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का दृढ़ता से मुकाबला करने की स्थिति में है जो इस संस्था की जागरूकता और जीवनदायिनी शक्ति का परिचायक है।''

क्या स्वाधीनता के बाद जिलाधीश के प्रभाव और भूमिका का ह्रास हुआ है?

सेवानिवृत्त अधिकारी ए. एन. मंगतराय के अनुसार स्वातधीनता के बाद जिलाधीश एवं जिले का महत्व एवं प्रभाव कम हुआ है। अब जिले में आर्थिक लाभों (economic patronage) को वितरित करने वाला वही (जिलाधीश) एकमात्र अधिकारी नहीं है। जिलाधीश को सांसद, विधायक; जिला प्रमुख जैसे जन प्रतिनिधियों के साथ काम करना होता है। जिले में साम्प्रदायिक तनाव, श्रमिक हड़ताल, शिक्षण संस्थाओं में अनुशासन और छात्र असन्तोष जैसे विषयों पर जिलाधीश को जन प्रतिनिधियों और राजनीतिज्ञों के विचार सुनने पड़ते हैं, अपने निर्णयों की स्वीकृति के लिए जिलाधीश को कईप्रकार के लोगों से प्रतिस्पर्द्धा करनी होती है और यह लोकतन्त्र में न केवल उपयोगी है वरन् अपरिहार्य है। किन्तु परिस्थितियों ने प्रतिस्पर्द्धा की इस दौड़ में उसे कमजोर कर दिया है। औपनिवेशिक काल के जिलाधीश की तुलना में आज का जिलाधीश स्थानीय समस्याओं के बारे में कम ज्ञान और अनुभव रखता है। अपने जीवन का बहुत कम समय वह जिलें में व्यतीत करता है और इस अल्पकाल को वह अपने कैरियर का आज ह्रदय भी नहीं मानता है। आज एक योग्य और महत्वाकांक्षी अधिकारी अपने 30-35 वर्ष के सेवा काल में 3-5 वर्ष ही जिले में व्यतीत करता है जबकि ब्रिटिशकाल में एक आई. सी. एस. अपने सेवा काल का लगभग आधा समय जिलों में व्यतीत करता था। घोड़े के बजाय जीप के प्रयोग ने यह सम्भव कर दिया है कि जिलाधीश दूरदराज के गांवों में कुछ घण्टे बिताकर जिला मुख्यालय पर लौट आएं। अब वह गांवों में रात्रि विश्राम नहीं करता और इससे वह अपने जिले के गांवों के लोगों की समस्याओं की तह में भी नहीं घुस सकता। जीप के साधन ने ज्ञान वृद्धि के बजाय उसकी अज्ञानता ही बढ़ाई है। एक आई. ए. एस. का अब न्यायिक रोल ही समाप्त हो गया है। अब तो उनके प्रशासनिक कार्यों का मूल्यांकन ऐसे न्यायाधीश करते हैं जिन्हें प्रशासकों की कठिनाइयों और जिम्मेदारियों का कोई अहसास नहीं। जिला स्तर पर राजनीतिज्ञों ने पुलिस से सीधा सम्पर्क स्थापित कर लिया है। जिला मजिस्ट्रेट आज भी जिला स्तर पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है जबकि पुलस अधीक्षक सीधे मुख्यालय से (मुख्यमंत्री) निर्देश प्राप्त करते हैं। कभी-कभी तो जिला प्रशासन के दोनों अंग एक-दूसरे के विरोधी हो जाते हैं।

निष्कर्ष–जिले में उत्पन्न 'संकट' अथवा 'आपात्काल' में कलेक्टर का पद संकट निवारक के रूप में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। संकट के समय जिले में एक प्रभावी समन्वयक और प्रशासनिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। कलेक्टर के बिना इस शून्य को कौन भरेगा? कलेक्टर के पद का इतिहास लम्बी परम्परा है। आम लोग इस पद की स्थिति और भूमिका से

KOTHARI INSTITUTE

परिचित हैं। कलेक्टर के क्षेत्राधिकार के बारे में लोग ज्यादा प्रश्न नहीं करते जबकि जिले में अन्य अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार की सीमा लांघना भी पसन्द नहीं करते और राज्य सरकार भी जिले की गतिविधियों के बारे में कलेक्टर की रिपोर्ट को अधिक तथ्यपरक मानती है जबकि अन्य प्रशासनिक एजेन्सियों की रिपोर्ट कई बार विरोधाभासपूर्ण हो सकती है। ऐसी स्थिति में हम से संकट विमोचक के रूप में देखते हैं जो दायित्वों को आगे बढ़कर वहन करता है और अन्य लोग दायित्रों से बचने की सोचते हैं। अतः इस पद को समाप्त करना बुद्धिमानी नहीं होगी।

2. पंचायती राज : मुख्य विशेषताएं, संरचना तथा समस्याएं

आजकल पंचायती रादज के पुनरोदय की चर्चा की जा रही है तथापि पंचायती राज अपने जन्मकाल से चार विभिन्न चरणों में आगे बढ़ा है। 1959 से 1964 तक के चरण को उत्थान काल (phase of ascendency); 1965 से 1969 के चरण को ठहराव काल (phase of stagnation); 1969 से 1983 के चरण को ह्रास काल (phase of decline) तथा 1983 के आगे के चरण को पुनरोद्य काल (phase of revival) कहा जाता है। इस दिशा में 1985 के कर्नाटक जिला परिषद्, तालुका पंचायत समिति, मण्डल पंचायत एवं न्याय पंचायत अधिनियम की महती भूमिका रही है।

भारत में पंचायती राज की भूमिका

भारत में ग्राम पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में आपसी झगड़ों का फैसला पंचायतें ही करती थीं, परन्तु अंग्रेजी राज के जमाने में पंचायतें धीरे-धीरे समाप्त हो गई और सब काम प्रान्तीय सरकारें करने लगीं। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद राज्यों की सरकारों ने पंचायतों की स्थापना की ओर विशेष ध्यान दिया। प्रो. रजनी कोठारी के अनुसार, राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शितापूर्ण कार्य था पंचायती राज की स्थापना इससे भारतीय राज-व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण हो रहा है और देश में एक सी स्थानीय संस्था के निर्माण से उसकी एकता भी बढ़ रही है।'' इसकी शुरूआत का श्रेय श्री जवाहरलाल नेहरू को है। पं. नेहरू का कहना था कि ठगांवों के लोगों को अधिकार सौंपना चाहिए। उनको काम करने दो चाहे वे हजारों गलतियां करें, इससे घबराने की जरूरत नहीं। पंचायतों को अधिकार दो।''

नेहरू का लोकतान्त्रिक तरीकों में अटूट विश्वार था। सन् 1952 में उन्हीं की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ हुआ। इसमें काफी संख्या में सरकारी कर्मचारी रखे गए और लम्बे चौड़े दावे किए गए। यह समझा गया कि इस कार्यक्रम में जनता की ओर से सक्रिय रूप से भाग लिया जायगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरम्भ इसलिए किया गया था ताकि आर्थिक नियोजन एवं सामाजिक पुनरूद्धार की राष्ट्रीय योजनाओं के प्रति देश की ग्रामीण जनता में सक्रिय रूचित पैदा की जा सके। परन्तु सामुदायिक विकास के इस सरकार द्वारा प्रेरित और प्रायोजित कार्यक्रम ने ग्रामीण जनता को नियोजन की परिधि में तो लाकर खड़ा कर दिया, परन्तु ग्रामीण स्तर पर योजना के क्रियान्वयन में उसे 'इच्छुक पक्ष' न बनाया जा सका। यह कार्यक्रम सरकारी तन्त्र और ग्रामीण जनता के बीच की दूरी कम करने के मुख्य उद्देश्य में विफल रहा। इस विफलता का मुख्य कारण यह था कि इसे सरकारी महकमे की तरह चलाया गया और गांवों के विकास के बजाय सामुदायिक विकास की सरकारी मशीनरी के विस्तार पर ही ज्यादा जोर दिया गया। सरकारी मशीनरी के द्वारा गांवों के लोगों की मनोवृत्ति को बदलने की आशा की गई; परिणाम यह हुआ कि गांवों के उत्थान के लिए खुद प्रयत्न करने के बजाय ग्रामीण जनता सरकार का मुंह तांकने लगी। एक अमरीकी लेखक रेनहार्ड बेंडिक्स लिखते हैं, ठसामुदायिक विकास की सबसे बड़ी कमजोरी उसका सरकारी स्वरूप और नेताओं की लफ्फाजी थी। एक तरफ इस कार्यक्रम के सूत्रधार जनता से आगे आने की आशा करते थे, दूसरी ओर उनका विश्वास था कि सरकारी कार्यवाही से ही नतीजा निकल सकता है। कार्यक्रम जनता को चलाना था, लेकिन वे बनाए ऊपर से जाते थे।''

KOTHARI INSTITUTE

इन बुराइयों को दूर करने का उपाय यह था कि वास्तविक सत्ता सम्पन्न लोकतन्त्रीय स्थानीय संस्थाओं को शुरू करके स्थानीय राजनीति के विष को काबू में किया जाए। बहुत से लोगों का विचार था कि पंचायती राज इसका इलाज हो सकता है जो इसके साथ ही प्रशासनिक तनाव को भी समाप्त कर देगा। पंचायती राज को सभी बुराइयों के लिए रामबाण जैसे गुणों से सम्पन्न साधन मानने का कुछ सम्बन्ध गांधीजी की यादों और जयप्रकाश नारायण द्वारा उन्हें पुनर्जीवित करने से है। जयपप्रकाश नारायण ने पंचायती राज को देशी और प्राचीन 'सामुदायिक लोकतन्त्र' के समान बताया और साथ ही इसे पश्चित के 'जनता के हाथ बंटाने का अवसर देने वाले लोकतन्त्र' (Participating democracy) से भी अधिक आधुनिक कहा।

बलवन्तराय मेहता समिति प्रतिवेदन

सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर काफी खर्च होचुकने और उसकी सफलता के लम्बे-चौड़े दावों के बाद इसका जांच के लिए सन् 1957 में एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया। इस अध्ययन दल के अध्यक्ष श्री बलवन्तराय मेहता थे। अध्ययन दल को सौंपे गए कार्यों में, एक कार्य जिसका कि दल को अध्ययन करना था, यह था कि 'कार्य सम्पादन में अधिक तीव्रता लाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का संगठनात्मक ढांचा तथा कार्य करने के तरीके कहां तक उपयुक्त थे?' उस दल ने सरकार को बताया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बुनियादी त्रुटि यह है कि जनता का इसमें सहयोग नहीं मिला। अध्ययन दल ने सुझाव दिया कि एक कार्यक्रम को, जिसका कि लोगों के दिन-प्रतिदिन के जीवन से सम्बन्ध है, केवल उन लोगों के द्वारा ही कार्यान्वित किया जा सकता है। अध्ययन दल की रिपोर्ट में यह कहा गया कि जब तक स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी और अधिकार नहीं सौंपे जाते, संविधान के निदेशक सिद्धान्तों का राजनीतिक और विकास सम्बन्धी के निदेशक सिद्धान्तों का राजनीतिक और विकास सम्बन्धी लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। 'मेहता अध्ययन दल' ने 1957 के अन्त में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पंचायती राज संस्थाओं की तुरन्त शुरूआत की जानी चाहिए। इस अध्ययन दल ने इसे 'लोकतान्त्रीय विकेन्द्रीकरण' का नाम दिया।

इस प्रकार लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और विकास कार्यक्रमों में जनता का सहयोग लेने के ध्येय से पंचायती राज की शुरूआत की गई। इसके स्वरूप में विभिन्न राज्यों में कुछ अन्तर है, मगर कतिपय विशेषताएँ एक-सी हैं। एक तो पंचायती राज की तीन सीढ़ियां हैं- ग्राम स्तर पर ग्रामं पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद्। अर्थात् गांव ससे लेकर जिला स्ततक स्थानीय सरकार में त्रि-स्तरीय संरचना लागू की जानी चाहिए तथा इन तीनों स्तरों में परस्पर सहयोगी सम्बन्ध पाए जाने चाहिए. दूसरा, पंचायती राज प्रणाली में स्थानीय लोगों को काम करने की आजादी है और देख-रेख ऊपर से होती है। अर्थात् इन स्तरों/संगठनों को सही मायने में सत्ता का हस्तानन्तरण किया जाना चाहिए। तीसरा सामुदायिक कार्यक्रम की भांति यह शासकीय ढांचे का अग नहीं है। पंचायती राज की संस्थाएं निर्वाचित होती हैं और इसके कर्मचारी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधीन काम करते हैं। चतुर्थ साधन जुटाने और जनसहयोग संगठित करने का भी इन संस्थाओं को पर्याप्त अधिकार है। पंचम, सभी विकास सम्बन्धी कार्यक्रम व योजनाओं का क्रियान्वयन इन स्तरों/संगठनों के द्वारा किया जाना चाहिए। पृष्ठ स्तरों/संगठनों द्वारा अपने दायित्वों के निर्वाह को इस रूप में लागू किया जाना चाहिए कि भविष्य में उत्तरदायित्वों व सत्ता का और विकेन्द्रीकरण किया जा सके।

पंचायती राज के पीछे जो विचारधारा निहित है, वह यह है कि-गांवों के लोग अपने पर शासन का उत्तरदायित्व स्वयं संभालें। यही एक महान् आदर्श है जिसे प्राप्त किया जाना है। यह आवश्यक है कि गांवों में रहने वाले लोग कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, पशुपालन, आदि से सम्बन्धित विकास क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लें। ग्रामीण लोग न केवल कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग ही लें, अपितु उन्हें यह

अधिकार भी होना चाहिए कि वे अपनी आवश्यकताओं और अनिवार्यताओं के विषय में स्वयं ही निर्णय भी कर सकें। पंचायती राज ग्रामीण लोगों को विकास क्रियाओं के सम्बन्ध में निर्णय की शक्ति भी प्रदान करता है। लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय नीतियों का निर्धारण करते हैं और जनता की वास्तविक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उनके अनुसार ही अपने कार्यक्रमों को लागू करते हैं।

इस प्रकार देश की जड़ों तक लोकतन्त्र को प्रवेश कराया गया है। इसके अन्तर्गत जनता के नीचे स्तर पर स्थित लोग भी देश के प्रशासन से सम्बद्ध हो जाते हैं। पंचायती राज की संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय लोग न केवल नीति का ही निर्धारण करते हैं, अपितु उसके क्रियान्वयन तथा प्रशासन का नियन्त्रण पंच मार्गदर्शन भी करते हैं।

पंचायती राज पर अमल

भारतीय संघ के अधिकांश राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं के गठन के लिए अधिनियम पारित किए। राजस्थान सबसे पहले राज्य है जिसने अपने यहां पंचायती राज की स्थापना की। 2 सितम्बर, 1959 को राजस्थान विधानसभा ने पंचायत समिति व जिला परिषद् अधिनियम पास किया। इस योजना का उदघाटन 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा नागौर में किया गया। इसी वर्ष 1959 में ही आंध्रप्रदेश भी 'पंचायती राज व्यवस्था' को अपने प्रान्त में लागू कर राजस्थान के साथ पहले नम्बर पर आ गया। 'बलवन्त राय मेहता समिति' की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय सासन की इस त्रिस्तरीय योजना में पंचायत समिति सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी।

मुख्य विकास कार्य पंचायत समिति को ही सौंपे गए और जिला परिषद् का कार्य तो पंचायत समितियों के कार्य संचालन की देखभाल एवं उनमें तालमेल स्थापित करना था। रिपोर्ट में प्रस्तावित इस रूपरेखा ने राज्यों में पंचायती राज की स्थापना करने के कार्य में अनेक राज्य सरकारों का मार्गदर्शन किया। इस सम्बन्ध में गुजराज एवं महाराष्ट्र की पंचायती राज योजना कुछ भिन्न थी। वहां पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिषद् को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाया गया और उसे अनेक क्षेत्रों में कुछ निष्पादक कार्य सौंपे गए।

पंचायती राज की उपलब्धियां एवं समस्याएं

हमारे देश में पंचायती राज की शुरूआत को एक ऐतिहासिक घटना कहा गया। पंचायती राज संस्थाओं से अधिक प्रशंसा बहुत ही कम संस्थाओं को प्राप्त हुई है। पं. नेहरू ने स्वयं कहा था कि ठमैं पंचायती राज के प्रति पूर्णतः आशान्वित हूं। मैं महसूस करता हूं कि भारत के सन्दर्भ में यह बहुत कुछ मौलिक एवं क्रान्तिकारी है।'' प्रो. रजनी कोठारी के अनुसार, ठइन संस्थाओं ने नए स्थानीय नेताओं को जन्म दिया है, जो आगे चलकर राज्य और केन्द्रीय सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। कांग्रेस और इन दलों के राजनीतिज्ञ इन संस्थाओं को समझने लगे हैं। अब वे राज्य विधानमण्डल के बजाय पंचायत समिति और जिला परिषदों को तरजीह देने लगे हैं।'' वस्तुतः इन संस्थानों ने देश के राजनीतिकरण, आधुनिकीकरण और समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।'' हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जन हिस्सेदारी में वृद्धि करके गांवों में जागरूकता उत्पन्न कर दी है। हाल ही में राजस्थान में पंचायती राज की उपलब्धियों का एक सर्वेक्षण के माध्यम से अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ है जिसमें कहा गया है कि :

(1) पंचायती राज व्यवस्था से गांवों में राजनीतिक व प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में समझ का विकास हुआ है जिसके कारण ग्रामवासी इन संस्थाओं में सक्रिय समभागिता के लिए आकर्षित हुए हैं।

(2) लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की इस प्रक्रिया में समाजीकरण के दौर से गुजरते व्यक्तियों के बीच जनतान्त्रिक मूल्यों के विकास से अधिकारों के प्रति चेतना बढ़ी है। मताधिकार चेतना इसी सामान्य चेतना स्तर का विशिष्ट स्वरूप है।

KOTHARI INSTITUTE

(3) पंचायती राज व्यवस्था ने 40 वर्ष के कार्यकाल में न केवल ग्रामवासियों के मानसिक विकास में योगदान दिया है बल्कि गांवों के भौतिक विकास में भी कारगार भूमिका निभाई है जिससे गांवों में यातायात, सिंचाई, पेयजल सुविधाओं का विस्तार हुआ है और सामान्य ग्रामवासी के जीवनस्तर में आंशिक सुधार भी आया है।

(4) शिक्षण संस्थाओं की शुरूआत ने साक्षरता का प्रतिशत ही नहीं बढ़ाया है बल्कि गांव के व्यक्तियों के विचारों व मूल्यों में परिवर्तन के लिए भी कार्य किया है।

(5) पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने के बाद गांवों में सामाजिक बुराइयों के समापन के लिए भी एक वातावरण तैयार हुआ जिसके अन्तर्गत मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह तथा महिला अत्याचार जैसी समाजिक समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्य किया गया है। फिर भी यह तो कहना ही पड़ेगा कि पिछले 40 वर्षों का अनुभव विशेष उत्साहवर्द्धक नहीं रहा। ये संस्थाएं ग्रामीण जनता में नई आशा और विश्वास पैदा करने में असफल रही हैं। वस्तुतः जब तक ग्रामीणों में चेता नहीं आती तब तक वे संस्थाएं सफल नहीं हो सकतीं। किन्तु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि पंचायती राज व्यवस्था असफल हो गई है। कुछ राज्यों में तथा कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में इन संस्थाओं ने सराहनीय कार्य किया है। पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष कुछ नई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, कुछ पहले ही थी, जिनका निराकरण करना आवश्यक है, ये समस्याएं है-

(1) **सत्ता के विकेन्द्रीकरण की समस्या**–लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की सफलता की पहली शर्त सत्ता का स्थानीय संस्थाओं को हस्तान्तरण करना है। पंचायती राज संस्थाओं को स्वायत्त, शासन की शक्तिशाली इकाइयां बनाना था। यह तभी सम्भव है जब प्रेरणा नीचे के स्तरों से शुरू हो और उच्च स्तर केवल मार्ग निर्देशन करे। राज्य सरकारें इन संस्थाओं को अपने आदेशों का पलन करने वाला एजेण्ट मात्र न समझें, इसके लिए नौकरशाही की मनोवृद्धि में परिवर्तन की आवश्यकता है।

(2) **अशिक्षा एवं निर्धनता की समस्या**–अशिक्षा और निर्धनता ग्रामीणों की विकट समस्या है। इसके कारण ग्रामीण नेतृत्व का विकास नहीं हो पा रहा है और वे अपने संकीर्ण दायरों से ऊपर नहीं उट पाते हैं। किन्तु वर्तमान में शिक्षा की दिशा में शासन द्वारा किए गए कार्यों से हमारे उत्साह में वृद्धि हो रही है।

(3) **दलगत राजनीति**–पंचायती राज की सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा दलगत राजनीति है। पंचायतें राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही हैं। पंचायतों में छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़ें हुआ करते हैं, दलबन्दी होती है और बहुत-सा समय लड़ने-झगड़ने में निकल जाता है। यदि हमारे राजनीतिक दल पंचायतों के चुनावों में हस्तक्षेप करना बन्द कर दें तो पंचायतों को गन्दी राजनीति के दलदल से निकाला जा सकता है।

(4) **धन की समस्या**–धन की समस्या पंचायती राज संस्थाओं के सामने शुरू से ही रही है। इन संस्थाओं को स्वतन्त्र आर्थिक स्त्रोत या तो दिए ही नहीं गए या फिर जो भी दिए गए वे अर्थशून्य है। परिणामतः शासकीय अनुदानों पर ही जीवित रहना पड़ा है। अतः आय के पर्याप्त एवं स्वतन्त्र स्त्रोत पंचायती संस्थाओं को दिए जाने चाहिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बन सके। इनके अतिरिक्त और भी कई समस्यां है, राजनीतिक जागरूकता की कमी, विकास कार्यों की उपेक्षा, शासकीय अधिकारियों एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों में सहयोग का अभाव आदि।

पंचायती राज की सफलता के लिए सुझाव

भारत के लिए गांव आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। देश तभी पूलेगा-फलेगा जब उसकी आत्मा के रूप में गांव की प्रगति हो। गांवों का सर्वांगीण विकास पंचायतों की सफलता के द्वारा ही सम्भव है।

KOTHARI INSTITUTE

पंचायतों की सफलता के लिए निम्नांकित सुझाव दिए जा सकते हैं-

प्रथम : पंचायती राज संस्थाओं में व्याप्त गुटबन्दी को समाप्त करना होगा।

द्वितीय, पंचायतों के चुनावों में मतदान को अनिवार्य करना होगा और जो मतदाता चुनाव में भाग न ले उस पर कुछ दण्ड लगाया जाए, जो पचास रूपयों से अधिक न हो।

तृतीय, पंचायतों की वित्तीय हालत सुधारनी होगी।

चतुर्थ, अधिकारियों को पंचायतों के मित्र, दार्शनिक और पथ-प्रदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए।

पंचम, पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और अन्त में, पंचायतों पर विश्वास करना होगा, वे गलतियां करेंगी और हमारा दृष्टिकोण उनके प्रति उदार ही अपेक्षित है।

पंचायती राज संस्थाओं के प्रति राज्य सरकारों तथा जिला अधिकारियों का उदासीन होना इनके लिए घातक होगा। राज्य सरकारों, उनके तकनीकी अभिकरणों तथा जिला अधिकारियों को पंचायती राज संस्थाओं का मार्ग- निर्देशन करना तथा उन्हें प्रोस्ताहित करना है। जिला अधिकारियों को इन विकेन्द्रीकृत लोकतन्त्रीय संस्थाओं के मित्र, दार्शनिक तथा पथ-प्रदर्शक बनना है। उन्हें जनता को अधिकतम पहल करने का मौका देने वाले शिक्षकों का कार्य करना है। अधिकारीगण विकेन्द्रीकृत लोकतन्त्र की गतिविधियों में सक्रिय हिस्सेदारों के रूप में सम्मुख आने चाहिए। इनके साथ ही उन्हें अहंकार व वर्ग उच्चता की खोखली धारणाओं को त्यागना होगा। नौकशाही की पुरानी उच्चता वाली मनोवृत्ति से काम नहीं चलेगा। अगर 'खण्ड-विकास अधिकारी' 'बड़े साहब' वाला रूख अपनाने का प्रयास करेगा तो पंचायती राज आन्दोलन को भीषण कठिनाइयों का समना करना पड़ेगा।

पंचायती राज के फलस्वरूप एक महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया है कि ग्रामीणों के मस्तिष्क से अधिकारियों का भय जाता रहा है। अंग्रेजी शासन के युग में ग्रामीण जन नौकरशाही की शक्ति से आतंकित थे। अब ग्रामीण जनखण्ड विकास अधिकारी के पास जाकर विश्वास के साथ उससे अपनी समस्याओं पर बातचीत कर सकते हैं।

पंचायती राज का अशोक मेहता मॉडल

एक व्यापक दृष्टिकोण से अक्सर यह सवाल उठाता जाता है कि क्या पंचायती राज की स्थापना से भारत के देहातों में शान्तिपूर्ण ढंग से सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में सहायता मिली है? जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद 12 दिसम्बर, 1977 को मन्त्रिमण्डल सचिवालय ने पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने एवं प्रचलित ढ़ांचे में अवस्यक परिवर्तन सुझाने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की। श्री अशोक मेहता इस समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं का एक नया प्रतिमाल (मॉडल) सुझाया। समिति की सिफारिशों के पीछे मूलभूत भावना यह हैकि सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर उसे संस्थागत रूप प्रदान किया जाए। समिति द्वारा सुझाए गए पंचायती राज प्रतिमाल (मॉडल) की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :

प्रथम जिला परिषद् को मजबूत बनाया जाए तथा ग्राम पंचायत की जगह मण्डल पंचायत की स्थापना की जाए अर्थात् पंचायती राज संस्थाओं **के संगठन के दो स्तर (Two-Tier)**–जिला परिषद् तथा मण्डल पंचायत हों।

द्वितीय, जिले को विकेन्द्रीकरण की धुरी माना जाए तथा जिला परिषद् को समस्त विकास कार्यों का केन्द्र बिन्दु बनाया जाय। जिला परिषद ही जिले का आर्थिक नियोजन कार्य करेंगी, समस्त विकास कार्यों में सामजस्य स्थापित करेंगी और नीचे के स्तर का मार्ग-निर्देशन करेंगी।

तृतीय, जिला परिषद् के बाद मण्डल पंचायतों को विकास कार्यक्रमों का आधारभूत संगठन बनाया जाना चाहिए। मण्डल पंचायतों का गठन कई गांवों से मिलकर होगा। ये मण्डल पंचायते 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पर गठित की जाएंगी। मण्डल पंचायतों को कार्यक्रम क्रियान्वयन की दृष्टि से धरातलीय संगठन

KOTHARI INSTITUTE

(Baselevel organization) के रूप में विकसित किया जाए। धीरे-धीरे 'पंचायत समितिया' समाप्त हो जाएंगी और उनका स्थान मण्डल पंचायते ले लेंगी।

चतुर्थ, पंचायती राज संस्थाएं समिति प्रणाली के आधार पर अपने कार्यों का सम्पादन करे।

पंचम, जिलाधीश सहित जिला स्तर के सभी अधिकारी अन्ततः जिला परषद् के मातहत रखे जाएं।

षष्ठम् इन संस्थाओं के निर्वाचन में राजनीतिक दलों को खुले तौर से अपने चुनाव-चिन्हों के आधार पर भाग लेने की स्वीकृति दी जाए।

सप्तम्, न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों के साथ नहीं मिलाया जाना चिहए। यदि न्याय पंचायत की अध्यक्षता योग्य न्यायाधीश करें और निर्वाचित न्याय पंचायत को उनके साथ सम्बन्ध कर दिया जाय तो अधिक अच्छा होगा।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम : पंचायतों को संवैधानिक दर्जा

संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को सवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। संविधान में नया अध्याय 9 जोड़ा गया है। अध्याय 9 द्वास संविधान में 16 अनुच्छेद और एक अनुसूची-ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गयी है। 24 अप्रैल, 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 लागू किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं-

1. ग्राम सभा–ग्राम सभा गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमण्डल विधि बनाकर उपबन्ध करें।

2. पंचायतों का गठन–अनुच्छेद 243 ख त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाएगा, किन्तु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं हैं, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना अवस्यक नहीं होगा।

3. पंचायतों की संरचना–राज्य विधानमण्डलों को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबन्ध करने की शक्ति प्रदान की गई है, परन्तु किसी भी स्तर पर पंचायत प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त राज्य में यथासम्भव एक ही होगा।

पंचायतों के सभी स्थान पंचायत राज्य क्षेत्र के प्रादेशक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसी रीति से निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही थे। किन्तु राज्य विधानमण्डल विधि बनाकर ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए :

(क) ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में या जिस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें नहीं है, जिला स्तर पर पंचायतों में;

(ख) मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का जिला स्तर पर पंचायतों में;

(ग) लोक सभा के या विधानसभा के ऐसे सदस्यों जो ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ग्राम स्तर पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतः या भागत; समाविष्ट है, ऐसी पंचायत में;

(घ) राज्य सभा और राज्य विधानपरिषद् के सदस्यों को जिनका नाम मध्य स्तर या जिला स्तर के पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में दर्ज है, जिला स्तर पंचायतों में प्रतिनिधित्व के लिए उपबन्ध कर सकता है।

ग्राम स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष ऐसी रीति से चुना जाएगा जो राज्य विधानमण्डल विधि द्वारा विहित करें। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन उसके सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा।

पंचायतों में आरक्षण–प्रत्येक पंचायत में क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपास में अनुसूचित जातियों एवं

KOTHARI INSTITUTE

अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। ऐसे स्थानों को प्रत्येक पंचायत में चक्रानुक्रम (र्दूंग्दह) से आवंटित किया जाएगा। आकर्षित स्थानों में से 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों और जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्राचन से भरे गए स्थानों की कुल संख्या के 1/3 स्थान (जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या सम्मिलित है), महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और चक्रानुक्रम से पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किए जाएंगे।

4. पंचायतों का कार्यकाल–पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। किसी पंचायत के गठन के लिए निर्वाचन 5 वर्ष की अवधि के पूर्व और विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि के अवसान से पूर्व करा लिया जाएगा।

5. वित्त आयोग–राज्य का राज्यपाल 73वें संशोधन प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के अवसान पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्निरीक्षण करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त आयोग अग्रलिखित विषय में राज्यपाल को अपनी सिफारिश करेगा-

(क) ऐसे करों, शुल्कों, पथ करों और फीसों को दर्शाना जो पंचायतों को प्रदान की जा सकें;

(ख) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान;

(ग) पंचायतों की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए उपाय बताना।

6. पंचायतों के निर्वाचन–पंचायतों के निर्वाचन कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी रीति और उसी आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है, जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पंचायती के लिए निर्वाचक नामवली तैयार करने का और पंचायतों के सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निदेशन और नियन्त्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

7. पंचायतों के कार्य–11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जिन पर पंचायतें विधि बनाकर उन कार्यों को कर सकेंगी।

मूल्यांकन– पंचायती राज संस्थाओं के अब भारतीय संविधान का हिस्सा बन जाने से अब कोई भी पंचायतों को दिए गए अधिकारों, दायित्वों और वित्तीय, साधनों को उनसे छीन नहीं सकेगा। 73वां संविधिआन संशोधन न केवल पंचायती राज संस्थाओं में संरचनात्मक एकरूपता लाने काप्रयास है बल्कि यह सुनिश्चित भी करता है कि इन संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों की हिस्सेदारी रहे। अब तक पंचायती राज संस्थाओं की विफलता का कारण उनके चुनाव समय पर न कराना और उन्हें बार-बार भंग या स्थगित किया जाना रहा है। वर्तमान अधिनियम में इस समस्या पर समुचित ध्यान दिया गया है और उम्मीद है कि पंचायती राज संस्थान निचले स्तर पर लोकतन्त्र के कारगर उपकरण साबित होंगे क्योंकि उनके निर्वाचनों की निश्चित अवधि पर समयबद्ध व्यवस्था की गई है। इन संस्थानों को अब छः महीने से अधिक समय के लिए भंग या स्थगित नहीं किया जा सकता। 73वें संशोधन अधिनियम का नकारात्मक बिन्दु यह है कि इसमें राजनीतिक दलों की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इसी प्रकार पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय नौकरशाही के बीच सम्बन्ध सूत्रता के बारे में भी अधिनियम चुप्पी साधे हुए हैं। लेखक की मान्यता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बन जाने के बावजूद पंचायती राज संस्थानों की सफलता राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर करती हैं।

3. शहरी स्थानीय सरकार : मुख्य विशेषताएं, संरचना तथा समस्याएं : नगरीकरण और औद्योगीकरण के विकास के साथ नगरीय शासन का महत्व बढ़ता जा रहा है। भारत के वर्तमान नगरीय शासन में नगर नियम, नगर पालिकाएं, नगर क्षेत्र समितियां, अधिसूचित क्षेत्र समितियां, छावनी बोर्ड आदि सम्मिलित हैं।

नगरीय स्थानीय सरकार : ऐतिहासिक विकास

भारत में नगर प्रशासन का अस्तित्व तथा विकास प्राचीन समय से हैं। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक 'इण्डिका'

KOTHARI INSTITUTE

में वर्णन किया है कि मौर्यों ने अपनी राजधानी पाटलीपुत्र के लिए नगर प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली विकसित की। मुस्लिम काल में नगर प्रशासन 'कोतवाल' नामक अधिकारी द्वारा व्यवस्थित किया जाता था। वह केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। उसके काम बहुत व्यापक थे। नगर में कानून और व्यवस्था बाजारों पर नियन्त्रण, अपराधों तथा सामाजिक बुराइयों को रोकना, वार्डों के अनुसार लोगों की पंजिका तथा गुप्तचर व्यवस्था, आदि अनेक कार्य उसके सुपुर्द थे। इस प्रकार प्राचीनकाल में नगर संस्थाएँ सुनिश्चित कार्यों के साथ कार्यरत थीं।

ब्रिटिश सरकार के आगमन के पश्चात् उन्होंने कई कारणों से शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वायत्त शासन के विषय में सोचा। ऐसा करने में उन्होंने भारत में पहले से प्रचलित देशीय संस्थाओं के ढांचे को अधिक अपनाया। ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले 1668 में चेन्नई शहर के लिए नगर निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की। बाद में 1793 के चार्टर ऐक्ट के अधीन चेन्नई, कोलकाता तथा मुम्बई के तीनों महानगरों में नगर निगम स्थापित किए गए। बंगाल अधिनियम, 1842 द्वारा जिला क्षेत्रों में नगर सरकारें लागू की गई। नगर प्रशासन का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सफाई के लक्ष्यों तक सीमित था। भारत में नगर प्रशासन के विकास का दूसरा चरण 1882 में लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव से सुस्पस्ठ हुआ। स्थानीय सरकार के इतिहास में अन्य महत्वपूर्ण चरण 1909 में विकेन्द्रीकरण पर रॉयल कमीशन कीरिपोर्ट से प्रशासनिक हस्तान्तरण के एक साधन के रूप में की। इसने नगर अधिकारियों को अधिक स्वायत्त शक्तियां देने पर बल दिया। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत विषयों में से एक अधनियम बन गया। अधिनियम में एक भाग स्थानीय स्वायत्त सरकार के प्रसार से सम्बन्धित था। अधिनियम की महत्वपूर्ण सिफारिशें थीं :

(i) गैर-सरकारी अध्यक्ष के साथ निर्वाचित बहुमत

(ii) मताधिकार को बढ़ाना

(iii) कर लगाने की स्वतन्त्रता। सिफारिशों के आधार पर 1920-30 के दौरान नगर प्रशासन निर्वाचित अध्यक्ष के अधिकार में रहां जो क्विरात्मक तथा कार्यकारी दोनों कार्य करता था। परन्तु इस अवधि में नागरिक प्रशासन सामान्यतः भ्रष्ट सिद्ध हुआ। परिणामस्वरूप 1930 के पश्चात् विभिन्न प्रदेशों में कार्यकारी कार्यों को विधायी कार्यों से अलग करने के अधिनियम पास किए गए।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् नगर प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। पिछले दो-तीन दशकों के दौरान नगर संस्थाओं को नया प्रोत्साहन मिला। सरकारी तथा मनोनीत सदस्यों की प्रथा को समाप्त करके नगर संस्थाओं को अधिक लोकतान्त्रिक बनाया गया। अतः प्रशासन को चलाने के लिए नगर सासन में निर्वाचित सदस्यों को पर्याप्त शक्तियां दी गई।

74वां संविधान संशोधन अधिनियम : नगरीय स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा

74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में भाग 9-क जोड़ा गया है जिसमें कुल 18 अनुच्छेद हैं और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें उन विषयों का उल्लेख किया गया है जिन पर नगरपालिकाएं कानून बनाकर अपने नागरिकों के जीवन को सुखी बना सकती हैं। 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं-

नगर पालिकाओं का गठन–प्रत्येक राज्य में नगरों के लिए निम्नलिखित स्वायत्त संस्थाएं गठित की जाएंगी-

(क) किसी संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए अर्थात्, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत चाहे जो नाम हो (ख) किसी लघुत्तर क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद् और (ग) किसी बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम।

इस अनुच्छेद के अन्तर्गत संक्रमणशील, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र और बृहत्तर नगरीय क्षेत्र से अर्थ ऐसे क्षेत्र से हैं जिसे किसी राज्य की सरकार उस क्षेत्र की जनसंख्या की सघनता स्थानीय प्रशासन के लिए प्राप्त राजस्व,

KOTHARI INSTITUTE

कृषि इतर क्रियाकलापों में नियोजन की प्रतिशतता आर्थिक महत्व या ऐसी ही अन्य बातों को जिसे वह ठीक समझे ध्यान में रखते हुए लोक अधिसूचना द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करे।

नगरपालिकाओं की संरचना–अनुच्छेद 243 द के खण्ड (2) के सिवाय, किसी नगरपालिका में सभी स्थान नगरपालिका क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जिसे 'वार्ड' कहां जाएगा। खण्ड (2) के अधीन राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा एक नगरपालिका में निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का उपबन्ध कर सकता है-

(i) ऐसे व्यक्तियों को जिसे नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव है; (ii) लोक सभा और राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्य जो उन निर्वाचक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें वह नगरपालिका क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः आता है; (iii) राज्य सभा और विधान परिषद् के ऐसे सदस्य जो ऐसी नगरपालिका क्षेत्र के भीतर मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं; (iv) अनुच्छेद 243 घ के खण्ड (5) के अधीन गठित समितियों के अध्यक्षों को। किन्तु उपखण्ड (i) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगरपालिका में मत देने का अधिकार नहीं होगा। राज्य का विधानमण्डल विधि बनाकर नगरपालिका के निर्वाचन की रीति विहित करेगा।

वार्ड समितियों का गठन और संरचना–ऐसी नगरपालिका जिसकी जनसंख्या तीन लाख या ससे अधिक है। प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर एक या अधिक वार्ड को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा।

स्थानों का आरक्षण–अनुच्छेद 243 नगरपालिकाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का उपलब्ध करता है। इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात यथासाध्य, नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल संख्या के अनुपात में होगा जो उस क्षेत्र में ऐसे वर्गों के सदस्यों की जनसंख्या के अनपुत में होगा और ऐसे स्थानों के निर्वाचन क्षेत्रों को नगरपालिका के विभिन्न निर्वाचित क्षेत्रों में चक्रानुक्रम (rotation) से आवंटित किया जाएगा। आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के 1/3 स्थान (जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी शामिल है) स्त्रियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे और ऐसे स्थान नगरपालिका के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम आवंटित किए जाएंगे। नगरपालिका के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों; अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित किए जाएंगे जैसा कि राज्य का विधानमण्डल विधि बनाकर उपबन्ध करे।

कार्यकाल–प्रत्येक नगरपालिका यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो उसके प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक बनी रहेगी, परन्तु विघटन के पूर्व नगरपालिका को उचित सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

किसी नगरपालिका के गठन के लिए निर्वाचित पांच वर्ष की अवधि के अवसान के पूर्व करा लिया जाएगा और यदि कार्यकाल के पूर्व विघटति हो गई है तो विघटन की तारीख से छः माह की अवधि के अवसान के पूर्व पूरा कर लिया जाएगा।

वित्त आयोग–अनुच्छेद 243 म यह उपबन्धित करता है कि अनुच्छेद 243 झ के अधीन गठित वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा और निम्नलिखित के बारे में सिफारिशें राज्यपाल को देगा-

(क) उन सिद्धान्तों की बाबत जो निम्नलिखित को शामिल करेंगे-

(i) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों का नगर पालिकाओं और राज्यों के बीच

KOTHARI INSTITUTE

वितरण जो इस भाग के अधीन उनके बीच किए जाने हैं तथा सभी स्तरों पर ऐसे आगमों के सम्बद्ध अंशों का नगरपालिकाओं के बीच आबंटन;

(ii) ऐसे करों, शुल्कों पथकों और फीसों का अवधारणा जो नगरपालिकाओं को समनुदेशित किए जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजि किए जा सकेंगे;

(iii) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान।

(ख) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय।

(ग) किसी अन्य विषय की बाबत जो राज्यपाल द्वारा नगरपालिकाओं के ठोस वित्त पोषण के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

लेखाओं की संपरीक्षा–राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा नगरपालिकाओं द्वारा लेखाओं के रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में उपबन्ध कर सकेगा।

नगरपालिकाओं के निर्राचन–नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उसके सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण अनुच्छेद 243 द में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

नगरपालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व–अनुच्छेद 243 ब यह कहता है कि इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधान विधि बनाकर नगरपालिकाओं को ऐशी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो वह उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवस्यक समझे और ऐसी विधि में नगरपालिका को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं निम्न की बाबत उपबन्ध किए जा सकेंगे-

(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना;

(ख) ऐसे कार्यों को करना और ऐसी स्कीमों को क्रियान्वित करना जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अन्तर्गत वे स्कीमें भी हैं जो बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के सम्बन्ध में हैं। संविधान की 12वीं अनुसूची में निम्नलिखित 18 विषय हैं जिन पर नगरपालिकाओं को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई हैं-

1. नगरीय योजना जिसके अंतर्गत शहरी योजना भी है।
2. भूमि उपयोग का विनियम और भवनों का सन्निर्माण।
3. आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना।
4. सड़कें और पुल।
5. घरेलू, औद्योगिक वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय।
6. लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा-करकट प्रबन्ध।
7. अग्निशमन सेवाएं।
8. नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी पहलुओओं की अभिवृद्धि।
9. समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अन्तर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति हैं, हितों का संरक्षण।
10. गन्दी बस्ती सुधार और उन्नयन।
11. नगरीय निर्धनता कम करना।
12. नगरीय सुख-सुविधाओं जैसे, पार्क, उद्यान, खेलों के मैदानों की व्यरस्था।
13. सांस्कृतिक, शैक्षाणिक और सौन्दर्यपरक पहलुओं की अभिवृद्धि।
14. शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और श्मशान और विद्युत् शवदाह।
15. कांजी पशुओं के प्रति क्रूरता का निवरण।
16. जन्म मरण सांख्यिकी जिसके अन्तर्गत जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण है।
17. लोक सुख-सुविधाएं जिसके अन्तर्गत पथ प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस-स्टाप और जन सुविधाएं है।
18. वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन।

निष्कर्ष–इस संशोधन अधिनियम द्वारा नगरों में लोकतान्त्रिक प्रणाली को सफल बनाने का प्रयास किया गया है। यद्यपि नगरों में स्वायत्त संस्थाएं पूर्व में ही

KOTHARI INSTITUTE

विद्यमान थीं, किन्तु विभिन्न कारणों से वे कमजोर और प्रभावहीन हो गई हैं। इनके चुनाव समय पर नहीं कराए जाते और अधिकांशतः वे निलम्बित रहती हैं और प्रशासकों द्वारा शासित होती हैं। अब नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है ताकि उनके चुनाव ठीक समय पर कराए जा सकें।

पंचायतें (अनुच्छेद 243क-243-ण)

अनुच्छेद-243- परिभाषाएं।

अनुच्छेद-243-क- ग्राम सभा।

अनुच्छेद-243-ख- पंचायतों का गठन।

अनुच्छेद-243-ग- पंचायतों की संरचना।

अनुच्छेद-243-घ- स्थानों का आरक्षण।

अनुच्छेद-243-ङ- पंचायतों की अवधि आदि।

अनुच्छेद-243-च- सदस्यता के लिए अनर्हता (निरर्हताएं)।

अनुच्छेद-243-छ- पंचायतों की शक्तिया, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व।

अनुच्छेद-243-ज- पंचायतों द्वारा करोरोपण की शक्तियां और उनकी निधियां।

अनुच्चेद-243-झ- वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्तीय आयोग की स्थापना

अनुच्छेद-243-ट- पंचायतों के निर्वाचन।

अनुच्छेद-243-ठ- संघ राज्य क्षेत्रों पर प्रवर्तन।

अनुच्छेद-243-ड- कतिपय क्षेत्रों में इस भाग का लागू न होना।

अनुच्छेद-243-ढ- विद्यमान विधियों और पंचायतों की निस्तरता।

अनुच्छेद-243-ण- निर्वचनीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन।

नगरपालिकाएं (अनुच्छेद 243 त- 243 य छ)

अनुच्छेद-243-त- परिभाषाएं।

अनुच्छेद-243-थ- नगर पालिकाओं का गठन।

अनुच्चेद-243-द- नगरपालिकाओं की संरचना।

अनुच्छेद-243-ध- वार्ड समितियों आदि का गठन और उनकी संरचना।

अनुच्छेद-243-न- स्थानों का आरक्षण।

अनुच्छेद-243-प- नगरपालिकाओं की अवधि आदि।

अनुच्चेद-243-फ- सदस्यता के लिए अनर्हता (निरर्हताएं)।

अनुच्छेद-243-ब- नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व।

अनुच्चेद-243-भ- नगर पालिकाओं द्वारा करारोपण की शक्तियां और उनकी निधियां।

अनुच्छेद-243-म- वित्त आयोग।

अनुच्छेद-243-य- नगर पालिकाओं के लेखा का परीक्षण।

अनुच्छेद-243-य क- नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन।

अनुच्छेद-243-य ख- संघ राज्य क्षेत्रों पर प्रवर्तन।

अनुच्छेद-243-य ग- कतिपय क्षेत्रों में इस भाग का लागू न होना।

अनुच्छेद-243-य घ- जिला योजना के लिए समिति।

अनुच्छेद-243- य ङ महानगरीय योजना के लिए समिति।

अनु.-243-य च- वर्तमान विधियों तथा नगर पालिकाओं की निरन्तरता।

अनु.-243-य छ- निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन।

❍❍❍❍❍

KOTHARI INSTITUTE

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. राज्य की रीढ़ की हड्डी माना जाता है-
(अ) राज्यपाल (ब) जिला कलेक्टर
(स) सरपंच (द) मेयर

2. भारतीय प्रशासन का मेरूदण्ड माना जाता है-
(अ) जिला कलेक्टर (ब) मेयर
(स) तहसीलदार (द) खण्ड विकास अधिकारी

3. भारत में क्षेत्रीय प्रशासन की मुख्य इकाई है-
(अ) राज्य (ब) जिला
(स) प्रान्त (द) तहसील।

4. भारत में जिले को क्षेत्रीय प्रशासन की इकाई माना जाता है क्योंकि-
(अ) यह भौगोलिक दृष्टि से पर्याप्त सुविधाजनक है।
(ब) इसका आकार न अधिक बड़ा है और न अधिक छोटा।
(स) यह ऐतिहासिक निरन्तरता का परिणाम है।
(द) उपर्युक्त तीनों कारण।

5. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है-
(अ) भारत में जिला प्रशासन का सम्पूर्ण डाटा पद सौपान व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है।
(ब) जिला प्रशासन एक जिले में सरकार के समस्त कार्यों का सामूहिक रूप है।
(स) भारतीय संविधान के अन्तर्गत जिले को प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता दी गई।
(द) ब्रिटिश शासन के समय जिले को क्षेत्रीय प्रशासन की इकाई बना दिया गया।

6. जिला प्रशासन से सम्बन्धित स्तर नहीं है-
(अ) तहसील (ब) उपखण्ड
(स) नगर (द) जिला।

7. ब्रिटिश शासनकाल में जिला प्रशासन का लक्ष्य नहीं था-
(अ) यथास्थिति बनाए रखना
(ब) राष्ट्रीयता की बाढ़ को रोकना
(स) विकास प्रशासन सम्बन्धी कार्य
(द) उपर्युक्त तीनों।

8. भारत में जिला कलेक्टर का पद किसकी देन है?
(अ) ब्रिटिश शासन (ब) सल्तनत काल
(स) मुगल काल (द) प्राचीनकाल

9. भारत में जिला कलेक्टर के पद की स्थापना किसके शासनकाल में हुई?
(अ) मुगल शासन काल
(ब) ईस्ट इण्डिया कम्पनी
(स) अकबर के शासन काल में
(द) औरंगजेब के शासन काल में।

10. जिला कलेक्टर साधारणतया-
(अ) सामान्यज्ञ होता है।
(ब) विशेषज्ञ होता है।
(स) राजनीतिज्ञ होता है।
(द) पुलिस सेवा से सम्बन्धित होता है।

11. जिला कलेक्टर साधारणतया-
(अ) आई. ए. एस. होता है।
(ब) आई. पी. एस. होता है।
(स) आई. एफ. एस. होता है।
(द) जन प्रतिनिधि होता है।

12. जिला कलेक्टर के रूप में जिलाधीश निम्नलिखित कार्य करता है-
(अ) फौजदारी प्रसासन का संचालन
(ब) राजस्व वसूली
(स) जेल और पुलिस पर नियन्त्रण
(द) नजूल भूमि का प्रशासन।

KOTHARI INSTITUTE

13. जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिलाधीश का प्रमुख कार्य है-
(अ) शान्ति और व्यवस्था कायम करना
(ब) कोषालय का अधीक्षण
(स) राजस्व वसूली
(द) प्राकृतिक विपदाओं के समय राहत।

14. स्वतन्त्रता के बाद कलेक्टर का निम्नलिखित कार्य महत्वपूर्ण हो गया है-
(अ) राजस्व वसूली
(ब) विकास कार्य
(स) जेल और पुलिस पर नियन्त्रण
(द) नियामकीय कार्य।

15. जिले में विकास सम्बन्धी कार्यों का प्रमुख समन्वयक है-
(अ) जिला प्रमुख
(ब) जिला समन्वयक अधिकारी
(स) जिला कलेक्टर
(द) जिला सहकारी बैंक का मैनेजर।

16. जिला विकास अधिकारी के रूप में कलेक्टर निम्नलिखित में से किससे जुड़ गया?
(अ) नगरपालिका (ब) पंचायती राज
(स) नगर निगम (द) शिक्षण संस्थाएं।

17. यह किसका सुझाव है कि जिला स्तर पर एक 'मुख्य कार्यपालक अधिकारी' का पद निर्मित किया जाना चाहिए जिसके नियन्त्रण में जिले का विकास सम्बन्धी समस्त प्रशासन रहेगा?
(अ) बगवन्तराय मेहता समिति
(ब) गोरवाला रिपोर्ट
(स) अशोक मेहता समिति
(द) सरकारिया आयोग।

18. वह कौन-सा राज्यहै जहां जिला कलेक्टर को विकास कार्यों से मुक्त रखा गया है?
(अ) महाराष्ट्र (ब) राजस्थान
(स) मध्य प्रदेश (द) उत्तर प्रदेश।

19. प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अधिकांशतः
(अ) विकास कार्यों में दिलचस्पी लेते हैं।
(ब) नियामकीय कार्यों में व्यस्त रहते हैं।
(स) जन चेतना जाग्रत करने में लगे रहते हैं।
(द) जन समस्याओं को प्रकाश में लाते हैं।

20. अनेक राज्यों में विकास कार्यों का कप्तान किसको बनाया गया है?
(अ) राज्यपाल (ब) मुख्य सचिव
(स) कलेक्टर (द) सरपंच।

21. किस पद को संकट विमोचक के रूप में देखा जाता है?
(अ) कलेक्टर (ब) तहसीलदार
(स) जिला शिक्षा अधिकारी (द) बैंक मैनेजर।

22. निम्नलिखित में से किस साधन ने ज्ञान वृद्धि के बजाय कलेक्टर की अज्ञानता बढ़ाई है?
(अ) घोड़ा (ब) जीप
(स) ऊंट (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

23. सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण है-
(अ) इसका संचालन नौकरशाही पर निर्भर था।
(ब) इसका संचालन जनप्रतिनिधियों पर निर्भर था।
(स) इसका संचालन गांव के लोगों द्वारा किया जाना था।
(द) धन का अभाव था।

24. लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का सुझाव दिया-
(अ) प्रशासनिक सुधार आयोग ने
(ब) सरकारिया आयोग ने
(स) बलवन्तराय मेहता समिति ने
(द) आयंगर आयोग ने।

25. लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और पंचायती राज की शुरूआत करने वाला पहला राज्य है-
(अ) मध्य प्रदेश (ब) पंजाब
(स) तमिलनाडु (द) राजस्थान।

KOTHARI INSTITUTE

26. बलवन्तराय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसको पंचायती राज में अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया?
(अ) ग्राम सभा (ब) पंचायन
(स) पंचायत समिति (द) जिला परिषद्।
27. बलवन्तराय मेहता समिति के अनुसार जिला परिषद् का कार्य-
(अ) विकास कार्यों का क्रियान्वयन होगा।
(ब) केवल तालमेल एवं परिवीक्षण होगा।
(स) सफाई, पानी और बिजली का प्रबन्ध होगा।
(द) ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करना होगा।
28. संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है-
(अ) अनुच्छेद 53 (ब) अनुच्छेद 19
(स) अनुच्छेद 51 (द) अनुच्छेद 40।
29. अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिश हैं-
(अ) पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों को कुल तौर से भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए।
(ब) पंचायती राज का गठन तीन स्तरों पर होना चाहिए।
(स) पंचायती राज में निर्वाचित सदस्य नहीं होने चाहिए।
(द) पंचायती राज को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
30. अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिश है कि-
(अ) पंचायती राज के चार स्तर हों।
(ब) पंचायती राज के दो स्तर हों।
(स) पंचायती राज के तीन स्तर हों।
(द) पंचायती राज के कोई स्तर न हों।
31. पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे-
(अ) जवाहरलाल नेहरू (ब) राजीव गांधी
(स) महात्मा गांधी (द) उपर्युक्त तीनों।
32. वह कौनसा राज्य है जहां पंचायती राज का मध्यवर्ती स्तर 'पंचायत समिति' अधिक शक्तिशाली है-
(अ) राजस्थान (ब) गुजरात
(स) महाराष्ट्र (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं।
33. 2 अक्टूबर, 1959 को लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना का श्रीगणेश कहां पर हुआ?
(अ) जयपुर (ब) नागौर
(स) हैदराबाद (द) भोपाल।
34. वह कौन-सा पहला राज्य है जिसने सम्पूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले की?
(अ) राजस्थान (ब) गुजरात
(स) महाराष्ट्र (द) तमिलनाडु
35. पंचायती राज का वह कौन-सा मॉडल है जो बलवन्त राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप है?
(अ) महाराष्ट्र मॉडल
(ब) गुजरात मॉडल
(स) राजस्थान मॉडल
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं।
36. पंचायती राज का वह कौनसा मॉडल है जहां जिला परिषद् की प्रमुख भूमिका दृष्टिगोचर होती है-
(अ) महाराष्ट्र मॉडल (ब) राजस्थान मॉडल
(स) गुजरात मॉडल (द) उपर्युक्त तीनों।
37. पंचायती राज के द्विस्तरी ढांचे को उपयुक्त माना-
(अ) बलवन्तराय मेहता समिति ने
(ब) अशोक मेहता समिति ने
(स) सरकारिया कमीशन ने
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं।
38. अशोक मेहता समिति के सदस्य थे-
(अ) नम्बूदरीपाद (ब) सिद्धराज ढड्ढा
(स) इकबाल नारायण (द) उपर्युक्त तीनों
39. निम्नलिखित में से कौनसा मुख्यमंत्री अशोक मेहता समिति का सदस्य नहीं था-
(अ) एम. जी. रामचन्द्रन
(ब) मोहनलाल सुखाड़िया
(स) कर्पूरी ठाकुर (द) प्रकाशसिंह बादल।

KOTHARI INSTITUTE

40. निम्नलिखित में से किस सदस्य ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के साथ अपनी विमति (गेहूं) प्रस्तुत की-
(अ) सिद्धराज ढड्ढा (ब) नम्बूदरीपाद
(स) एस. के. डे. (द) उपर्युक्त तीनों।

41. पंचायती राज सेवा के निर्माण की सिफारिश की-
(अ) सरकारिया आयोग
(ब) अशोक मेहता समिति
(स) बलवन्तराय मेहता समिति
(द) राजमन्नार समिति।

42. ग्राम सभा एक-
(अ) सलाहकारी संस्था है।
(ब) बाध्यकारी संस्था है।
(स) सलाहकारी संस्था नहीं है।
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं हैं।

43. वह कौन-सा राज्य है जहां ग्राम सभा को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है-
(अ) नगालैण्ड (ब) असम
(स) मणिपुर (द) गुजरात।

44. खण्ड स्तर के पंचायती राज स्टाफ का नायक होता है-
(अ) खण्ड विकास अधिकारी
(ब) उपजिला अधिकारी
(स) जिला विकास अधिकारी
(द) प्रधान।

45. वह कौन-सा राज्य है जहां जिला कलेक्टर को पंचायती राज से अलग रखा गया है-
(अ) गुजरात (ब) महाराष्ट्र
(स) राजस्थान (द) उपर्युक्त तीनों।

46. महाराष्ट्र में पंचायती राज के निर्माण से सम्बन्धित है
(अ) बलवन्तराय मेहता समिति
(ब) पारीख समिति
(स) सादिक अली समिति
(द) नायक समिति।

47. गुजरात का पंचायती राज-
(अ) राजस्थान मॉडल पर आधारित है।
(ब) महाराष्ट्र मॉडल पर आधारित है।
(स) राजस्थान व महाराष्ट्र के बीच का प्रारूप है।
(द) उपर्युक्त किसी से सम्बन्धित नहीं है।

48. राजस्थान सरकार ने पंचायती राज अध्ययन दल का निर्माण किसकी अध्यक्षता में किया?
(अ) सादिक अली (ब) आर. एल. पारीख
(स) अशोक मेहता (द) सिद्धराज ढड्ढा।

49. राजस्थान के पंचायती राज मॉडल में सर्वाधिक शक्तिशाली पद रहा-
(अ) सरपंच (ब) प्रधान
(स) पंच (द) ग्रामसेवक।

50. पंचायती राज संस्थाओं का अध्ययन करने वाले विद्वानों में उल्लेखनीय नाम है-
(अ) बी. बी. मिश्रा (ब) इकबाल नारायण
(स) रजनी कोठार (द) टी. एन. चतुर्वेदी।

51. राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को सुदृ. बनाने की दृष्टि से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में विशेष दिलचस्पी ली गई-
(अ) राजीव गांधी (ब) वी. पी. सिंह
(स) चन्द्रशेखर (द) चरणसिंह।

52. पंचायती राज के पुनरोदय की दृष्टि से किस राज्य का मॉडल अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है-
(अ) राजस्थान (ब) महाराष्ट्र
(स) कर्नाटक (द) गुजरात।

53. पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था की प्रशंसा किसने की?
(अ) सिकन्दर (ब) सेल्यूकस
(स) मैगेस्थनीज (द) फाह्यान।

54. भारत में पहले नगर निगम कहां पर स्थापित किया गया-
(अ) चेन्नई (ब) कोलकाता
(स) मुम्बई (द) दिल्ली।

KOTHARI INSTITUTE

55. नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं?
(अ) प्रधान (ब) मेयर
(स) अध्यक्ष (द) प्रमुख।

56. नगर पालिका का अध्यक्ष-
(अ) निर्वाचित होता है।
(ब) मनोनीत होता है।
(स) प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है।
(द) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होता है।

57. नगर क्षेत्र समितियों का सबसे अधिक प्रचलन किस राज्य में है?
(अ) राजस्थान (ब) उत्तर प्रदेश
(स) मध्य प्रदेश (द) उड़ीसा।

58. नए विकासशील नगर के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की जाती है?
(अ) नगरपालिका (ब) नगर निगम
(स) अधिसूचित क्षेत्र समितियां
(द) छावनी बोर्ड।

59. छावनी बोर्ड का मुखिया होता है-
(अ) सभापति
(ब) सेना का मुख्य अधिकारी
(स) खण्ड विकास अधिकारी
(द) कलेक्टर।

60. शहरी स्थानीय संस्थाओं की प्रमुख समस्या है-
(अ)वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकार पर अत्यधिक निर्भरता
(ब) स्वायत्त वित्तीय स्त्रोत
(स) जागरूक लोकमत (द) निर्धनता।

61. ब्रिटिश शासनकाल में जिला कलेक्टर का प्रमुख कार्य था-
(अ) विकास कार्यों को सम्पन्न करना
(ब) कानून एवं व्यवस्था कायम करना
(स) राजस्व वसूली (द) ब एवं स।

62. ब्रिटिश शासनकाल में जिला कलेक्टर का कौनसा कार्य नहीं था?
(अ) विकास प्रशासन
(ब) राजस्व वसूली
(स) कानून एवं व्यवस्था
(द) शान्ति कायम करना।

63. स्वतन्त्रता से पूर्व जिला कलेक्टर निम्नलिखित में से किस सेवा का होता था?
(अ) आई. पी. एस (I. P. S.)
(ब) आई. एफ. एस. (I. F. S.)
(स) आई. सी. एस. (I. C. S.)
(द) आई. ए. एस. (I. A. S.)

64. जिले का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है-
(अ) कलेक्टर (ब) जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(स) विधायक (द) राजकोष अधिकारी।

65. निम्नलिखित में से किसका पंचायती राज से सम्बन्ध नहीं है?
(अ) एल. एम. सिंघवी समिति रिपोर्ट
(ब) नायक समिति रिपोर्ट
(स) सादिक अली समिति रिपोर्ट
(द) गोरवाला रिपोर्ट।

66. जिला कलेक्टर होता है-
(अ) प्रान्तीय सिविल सेवा का सदस्य
(ब) केन्द्रीय सेवा का सदस्य
(स) अधीनस्थ सेवा का सदस्य
(द) अखिल भारतीय सेवा का सदस्य।

67. तहसीलदार होता है-
(अ) प्रान्तीय सिविल सेवा का सदस्य
(ब) केन्द्रीय सेवा का सदस्य
(स) अखिल भारतीय सेवा का सदस्य
(द) अधीनस्थ सेवा का सदस्य।

KOTHARI INSTITUTE

68. राज्य और जिले के बीच समन्वयक होता है-
(अ) एम. एल. ए. (ब) एम. पी.
(स) कलेक्टर (द) तहसीलदार।

69. जिला विभाजित होता है-
(अ) नगर (ब) ग्राम
(स) उपखण्ड (द) पंचायत।

70. उपखण्ड विभाजित होता है-
(अ) तहसील (ब) नगर
(स) ग्रामसभा (द) जिला।

71. जिला कलेक्टर किसके लिए कार्य करता है?
(अ) केन्द्रीय शासन के लिए
(ब) राज्य शासन के लिए
(स) संघ लोक सेवा आयोग के लिए
(द) योजना आयोग के लिए।

72. संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत जिला कलेक्टर को सुरक्षा प्रदान की गई हैं?
(अ) अनुच्छेद 311 (ब) अनुच्छेद 352
(स) अनुच्छेद 360 (द) अनुच्छेद 123

73. विकास कार्यों की समुचित देखभाल हेतु तथा जिला कलेकटर के कार्यों के बोझ को कम करने के लिए किस समिति ने एक अलग पद के सृजन का सुझाव दिया था?
(अ) बलवन्तराय मेहता समिति
(ब) अशोक मेहता समिति
(स) राजमन्नार समिति
(द) सरकारिया आयोग

74. अनुभव तथा शोध के आधार पर यह पाया गया है कि जिला कलेक्टर का अधिकांश समय लगता है-
(अ) राजस्व वसूली में
(ब) विकास कार्यों में
(स) प्रोटोकोल कार्यों में
(द) नियामकीय कार्यों में।

75. भारत के ग्रामीण इलाकों में आज भी 'सरकार' से तात्पर्य है-
(अ) प्रधानमन्त्री और संसद
(ब) मुख्यमंत्री और विधानमण्डल
(स) कलेक्टर और पटवारी
(द) राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति।

76. शान्ति भंग की अवस्था में दंगाइयों पर गोली चलाने के आदेश जारी करने में निर्णायक भूमिका किसकी रहती है?
(अ) जिला कलेक्टर (ब) थल सेनाध्यक्ष
(स) गृह सचिव (द) गृहमन्त्री

77. नगरीय स्थानीय सासन संस्था का उदाहरण है-
(अ) जिला परिषद् (ब) पंचायत समिति
(स) नगरपालिका (द) ग्राम सभा।

78. 'डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिश्ट्रेशन इन इण्डिया' पुस्तक के लेखक हैं-
(अ) एस. आर. माहेश्वरी (ब) एस. एस. खेरा
(स) इकबाल नारायण (द) ज्योति बसु।

79. लॉर्ड मेयो के प्रसिद्ध प्रस्ताव (1870) में किस बात पर जोर दिया गया?
(अ) केन्द्रीकरण (ब) विकेन्द्रीकरण
(स) उत्तरदायी शासन (द) नौकरशाही शासन।

80. भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है?
(अ) लॉर्ड मेयो (ब) लॉर्ड क्लाइव
(स) लॉर्ड कर्जन (द) लॉर्ड रिपन।

81. अन्य नगर निकायों की तुलना में अधिक स्वायत्तता का उपयोग करता है-
(अ) नगरपालिका (ब) नगर निगम
(स) छावनी परिषदें (द) टाउनशिप।

82. नगरीय स्थानीय शासन का रूप नहीं हैं-
(अ) नगर निगम (ब) जिला परिषद्
(स) छावनी परिषद् (द) टाउनशिप।

KOTHARI INSTITUTE

83. देश के प्राचीनतम नगर निगम हैं-
(अ) नागपुर, बंगलौर तथा आगरा
(ब) लखनऊ, पूना तथा ग्वालियर
(स) वाराणसी, नागपुर तथा उज्जैन
(द) मुम्बई, चेन्नई तथा कोलकाना।

84. नगरीय शासन की निगम पद्धति-
(अ) बड़े नगरों के लिए हैं।
(ब) छोटे कस्बों के लिए हैं।
(स) ग्रामों के लिए हैं।
(द) जिला मुख्यालयों के लिए हैं।

85. नगर निगम के अध्यक्ष को कहते हैं-
(अ) प्रमुख (ब) सभापति
(स) महापौर (द) प्रधान।

86. स्थानीय स्तर पर यह सैनिक शासन का ही प्रच्छन्न रूप है-
(अ) नगरपालिका (ब) पंचायत समिति
(स) टाउनशिप (द) छावनी परिषदें।

87. नगर निगमों में महापौर के प्रभावी नहीं होने के कारण हैं-
(अ) अप्रत्यक्ष निर्वाचन
(ब) अल्पावधि
(स) कमिश्नर या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को अत्यधिक अधिकार।
(द) अ + ब + स।

88. दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है?
(अ) केन्द्रीय सरकार (ब) नगर निगम स्वयं
(स) राज्य सरकार (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

89. निम्नलिखित में से कौन-सा वक्तव्य सही नहीं है-
(अ)कमिश्नर या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नगर निगम का वास्तविक शासक है।
(ब) महापौर नगर निगम का औपचारिक प्रधान है।
(स) नगर निगम की समस्त प्रशासकीय एवं कार्यकरिणी शक्तियां कमिश्नर में निहित होती हैं।
(द) आमतौर से सैनिक सेवा का कोई वरिष्ठ सदस्य कमिश्नर पद पर नियुक्त किया जाता है।

90. केन्द्रीय सरकार के प्रतिरक्षा मन्त्रालय के अधीन काम करने वाली स्थानीय संस्था है-
(अ) छावनी परिषद् (ब) ग्राम सभा
(स) नगर निगम (द) पंचायत समिति।

91. वह कौन-सा राज्य है जहां द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं कार्यरत थी?
(अ) राजस्थान (ब) गुजरात
(स) महाराष्ट्र (द) हरियाणा।

92. राजस्थान में छावनी मण्डल की स्थापना कहां पर की गई है?
(अ) माउण्टआबू (ब) जोधपुर
(स) जैसलमेर (द) नसीराबाद।

93. गुजरात राज्य में पंचायती राज की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई है?
(अ) बलवन्तराय मेहता समिति
(ब) सादिल अली रिपोर्ट
(स) आर. एल. पारीख समिति
(द) अशोक मेहता समिति।

94. कौन-सा जोड़ा गलत है-
(अ) गुजरात-आर. एल.पारीख समिति
(ब) महाराष्ट्र-नायर समिति
(स) राजस्थान-सादिक अली समिति
(द) कर्नाटक-गिरदारी लाल व्यास समिति।

95. पंचायती राज का आंध्र प्रदेश मॉडल किस राज्य के मॉडल से मिलता जुलता है?
(अ) राजस्थान (ब) हरियाणा
(स) गुजरात (द) महाराष्ट्र।

KOTHARI INSTITUTE

96. वह कौन-सा राज्य है जहां पंचायती राज की मध्यस्तरीय संस्था (पंचायत समिति) को अधिक कार्य व शक्तियां न सौंपकर जिला परिषद् को सौंपी गई हैं-

(अ) गुजरात (ब) आंध्रप्रदेश

(स) राजस्थान (द) महाराष्ट्र।

97. किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज एवं नगरीय संस्थाओं की पुनर्रचना के विशिष्ट प्रयास किए गए-

(अ) इन्दिरा गांधी (ब) राजीव गांधी

(स) चन्द्रशेखर (द) चरणसिंह।

98. भारत में पंचायती राज का अध्ययन-अनुसन्धान करने वाले विद्वानों में उल्लेखनीय नाम है-

(अ) डॉ. इकबाल नारायण (ब) रजनी कोठारी

(स) डॉ. मनमोहन सिंह (द) प्रो. यशपाल।

99. पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे-

(अ) चरणसिंह (ब) राजीव गांधी

(स) मोरारजी देसाई (द) लालबहादुर शास्त्री।

100. पंचायती राज के पुनर्गठन के सम्बन्ध में राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्वकाल में संसद में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसे लोक सभा ने पारित कर दिया किन्तु राज्य सबा ने पारित नहीं किया-

(अ) 64वां संविधान संशोधन विधेयक

(ब) 52वां संविधान संशोधन विधेयक

(स) 42वां संविधान संशोधन विधेयक

(द) 44वां संविधान संशोधन विधेयक।

101. 73वां संविधान संशोधन अदिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया-

(अ) भाग 4 क (ब) भाग 9

(स) भाग 14 क (द) दसवीं अनुसूची।

102. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया है-

(अ) पंचायती राज के दो स्तर

(ब) पंचायती राज के तीन स्तर

(स) पंचायती राज के चार स्तर

(द) पंचायती राज के पांच स्तर।

103. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिकन नहीं है, वहां किसका गठन आवश्यक नहीं हैं-

(अ) पंचायती राज का ग्राम स्तर

(ब) पंचायती राज का मध्यवर्ती स्तर

(स) पंचायती राज का जिला स्तर

(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

104. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है-

(अ) 1/2 स्थान (ब) 3/4 स्थान

(स) 1/3 स्थान (द) 2/3 स्थान।

105. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल है-

(अ) 3 वर्ष (ब) 4 वर्ष

(स) 5 वर्ष (द) 7 वर्ष।

106. 73वें संविधान संशोधन की दृष्टि से कौन-सा वक्तव्य सही नहीं है?

(अ) ग्राम स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष ऐसी रीति से चुना जाएगा जो राज्य विधानमण्डल विधि द्वारा विहित करें।

(ब) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों को प्रत्येक पंचायत में चक्रानुक्रम से आबंटित किया जाएगा।

(स) किसी पंचायत के गठन के लिए निर्वाचन 5 वर्ष की अवधि के पूर्व और विघटन की तिथि से 9 माह की अवधि के अवसान से पूर्व करा लिया जाएगा।

(द) ग्राम सभा गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो राज्य विधानमण्डल विधि बनाकर उपबन्ध करें।

107. 73वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान नहीं है-

(अ)आरक्षित स्थानों में से 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों और जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

(ब) राज्य का राज्यपाल प्रत्येक पांच वर्ष के अवसान पर पंचायतों की वित्तीय स्तिति का पुनर्विलोकन करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा।

(स) पंचायतों के सबी निर्वाचनों के सांलन का अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

(द) मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पंचायतों के चुनावों में प्रत्यक्ष भाग लेने का अधिका होगा।

108. 73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कितने विषय सौंपे गए हैं?

(अ) 97 (ब) 66

(स) 47 (द) 29।

109. 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को सौंपा गया विषय है-

(अ) निगम कर

(ब) परिवार-कल्याण

(स) विवाह और विवाह-विच्छेद

(द) कीमत नियन्त्रण।

110. संविधान की 11वीं अनुसूची का सम्बन्ध किससे है?

(अ) दलबदल (ब) पंचायती राज

(स) नगरपालिका (द) केन्द्र राज्य सम्बन्ध।

111. पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने वाला संविधान संशोधन अधिनियम है-

(अ) 52वां संशोधन (ब) 64वां संशोधन

(स) 73वां संशोधन (द) 74वां संशोधन।

112. संविधान की 12वीं संवैधानिक दर्जा देने वाला संविधान संशोधन अधिनियम है-

(अ) पंचायती राज (ब) नगरपालिकाएँ

(स) दलबदल (द) केन्द्र-राज्य सम्बन्ध।

113. 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं-

(अ) 47 (ब) 29

(स) 18 (द) 10।

114. 74वें संशोधन के अनुसार 'महानगर क्षेत्र' किसे कहा गया है?

(अ) जिसकी जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक है।

(ब) जिसकी जनसंख्या 5 लाख या उससे अधिक है।

(स) जिसकी जनसंख्या 7 लाख या उससे अधिक है।

(द) जिसकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है।

115. 74वें संशोधन के अनुसार नगरपालिकाओं का कार्यकाल कितना रखा गया है?

(अ) 7 वर्ष (ब) 5 वर्ष

(स) 4 वर्ष (द) 3 वर्ष

116. 74वें संविधान संशोधन के अनुसार किसी संक्रमणीशील क्षेत्र के लिए निम्न प्रावधान है-

(अ) नगर पंचायत (ब) नगरपालिका परिषद्

(स) नगर निगम (द) ग्राम सभा।

117. 74वें संविधान संशोधन के अनुसार महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है-

(अ) 1/3 स्थान (ब) 2/3 स्थान

(स) 3/4 स्थान (द) 1/4 स्थान।

118. 74वें संविधान संशोधन द्वारा किसका प्रावधान नहीं है-

(अ) जिला योजना के लिए समिति

(ब) महानगर योजना के लिए समिति

(स) वित्त आयोग

(द) योजना आयोग

KOTHARI INSTITUTE

119.74वें संविधान संशोधन द्वारा किसका प्रावधान है-
(अ) वित्त आयोग (ब) निर्वाचन आयोग
(स) महानगर योजना समिति (द) उपर्युक्त सभी।

120. कौन-सा कार्य नगरपिलकाओं का नहीं है-
(अ) गन्दी बस्ती सुधार (ब) शान्ति एवं व्यवस्था
(स) सड़के और पुल (द) अग्निशमन सेवाएं।

121. 74वें संविधान संशोधन द्वारा चोटे नगरों के लिए किसका प्रावधान है-
(अ) नगर पंचायत (ब) नगरपालिका परिषद्
(स) नगर निगम (द) महानगर योजना समिति।

122. निम्नलिखित में से कौन-सी एक समस्या शहरी स्थानीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है?
(अ)विदेशों से आने वाले प्रवासी
(ब) गन्दी बस्तियों और पर्यावरणीय ह्रास
(स)शहरी लोगों में पारिवारिक सम्पर्क तथा सामाजिक सम्बद्धता की कमी
(द) शहरी समुदाय में मानकों एवं मूल्यों का संघर्ष

123. हमारी पंचायती राज संस्थाओं में संरचनात्मक विभिन्नताओं के बावजूर जिला स्तर पर विकास प्रशासन में एक ओजस्वी भूमिका निभाने वाला अधिकारी है-
(अ) अध्यक्ष, जिला परिषद्
(ब) चेयरमैन, पंचायत समिति
(स) जिला कलेक्टर (द) जिला विकास सहायक

124. सही क्रम लिखिए-
1. लक्ष्मील्ल सिंघवी समिति
2. अशोक मेहता समिति
3. बलवन्तराय मेहता समिति
4. नायक समिति।
नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए-
(अ) 1, 2, 4, 3 (ब) 2, 4, 1, 3,
(स) 3, 4, 2, 1 (द) 4, 3, 1, 2।

125. निम्नलिखित में से किन-किन पर चुंगी लागू की जाती है-
1. वे वस्तुएं जो नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकार सीमा में बाहर से आती है।
2. वे वस्तुएं जो एक नगरपालिका की क्षेत्रीय अधिकार सीमा में अंदर से बाहर जाती है।
3. वे वस्तुएं जो एक नगरपालिका की क्षेत्रीय अधिकार सीमा में बाहर से आती हैं।
4. वे वस्तुएं जो आबकारी विभाग के गोदामों से बाहर जाकर नगर निगम के क्षेत्र में आती है।
नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए-
(अ) 1 और 2 (ब) 2 और 4
(स) 1 और 3 (द) 3 और 4

126. पंचायती राज के सन्दर्भ में हुए 73वें संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित में से कौन-से हैं?
1. सभी स्तरों पर सदस्यों का सीधा निर्वाचन
2. निर्वाचन करने के लिए अधिदेशी व्यवस्था
3. ग्राम के स्तर पर सभाध्यक्षों का सीधा निर्वाचन
4. मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर सभाध्यक्षों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन
नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिएः
(अ) 1, 2 और 3 (ब) 2, 3 और 4
(स) 1, 2 और 4 (द) 1, 3 और 4।

127. भारत में शहरी स्थानिक निकायों के राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं-
1. कर 2. फीस और जुर्माने
3. अनुदान 4. सेवा प्रभार।
नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिएः
(अ) 1 और 2 (ब) 1 और 3
(स) 1, 2 और 3 (द) 1, 3 और 4

KOTHARI INSTITUTE

128. निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य जिला कलेक्टर का नहीं हैं?

(अ) विधि व्यवस्था का प्रबन्ध

(ब) सर्वेक्षण तथा व्यवस्थापन

(स) भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों का प्रवर्तन।

(द) अपराधिक दंड संहिता के उपबंधों का प्रवर्तन।

129. संविधान के 73वें संशोधन में निम्न में से कौन-कौन से उपलब्ध किए गए हैं?

1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त के माध्यम से चुनाव करवाना

2. राज्य शासन द्वारा कार्यों का न्यागमन

3. राज्य वित्त आयोग का सृजन

4. त्रिस्तरीय भारतीय संघ की स्थापना

नीचे दिए गुए कूट में से सही उत्तर चुनिएः

(अ) 1 और 2 (ब) 2 और 3

(स) 3 और 4 (द) 2, 3 और 4।

130. नगर निगमों के सम्बन्ध में संविधान के 74वें संविधान संशोधन में निम्न में से किस-किसका प्रावधान है?

1. वार्डों के आधार पर सीधे निर्वाचनों द्वारा स्थान भरे जाने चाहिए

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण होना चाहिए

3. पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण होना चाहिए

4. स्त्रियों के लिए एक-तिहाई स्थानों का आरक्षण होना चाहिए।

नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनिए :

(अ) 1, 2 और 3 (ब) 1, 2 और 4

(स) 2, 3 और 4 (द) 1, 2, 3, और 4

131. अब जिला कलेक्टर सरकार और जनता के बीच सम्प्रेषण का माध्यम नहीं रह गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन-से कारण हैं?

1. उपनिवेशीय शासन का अन्त

2. जिले में अधिक प्रभावी लोकतन्त्रीय संस्थाओं का उदय

3. जनता में बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना

4. उच्च बौद्धिक स्तर के अधिकारियों का अभाव

नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिएः

(अ) 1 और 2 (ब) 1 और 3

(स) 2 और 3 (द) 3 और 4

132. भारत में निम्नलिखित में से कौन-कौनसे नगरीय स्थानीय निकाय हैं?

1. जिला मण्डल

2. नगर निगम, छावनी मण्डल

3. अनुसूचित क्षेत्रीय समितियां और नगरीय क्षेत्र समितियां

4. नगरी समितियां और पतन न्यास

निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिएः

(अ) 1 और 2 (ब) 2 और 3

(स) 3 और 4 (द) 1 और 4।

133. नीचे दो वक्तव्य दिए हैं जिनमें से एक को कथन (A) कहा गया है और दूसरे को कारण (R)-

कथन (A) : जिला स्तर पर दो महत्वपूर्ण कृत्यकारियों अर्थातत् जिला परिषद् का अध्यक्ष और कलेक्टर तथा जिला मजिस्ट्रेट का होना प्राधिकार के संघर्ष का हेतु बना है

कारण (R) : दोनों के बीच कृत्यों का कोई विभाजन नहीं है

ऊपर के दोनों वक्तव्यों के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सी सही है?

KOTHARI INSTITUTE

(अ) A और R दोनों सही हैं तथा A की सही व्यख्या R करता है
(ब) A और R दोनों सही हैं परन्तु A की सही व्यख्या R नहीं करता है
(स) A सही है परन्तु R गलत है
(द) A गलत है परन्तु R सही है।

134. जिले का पुलिस बल किसले सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन विधि और व्यवस्था बनाए रखता है?
(अ) राज्य के गृहमन्त्री के
(ब) राज्य के विधिमन्त्री के
(स) जिले के कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के
(द) जिले के पुलिस अधीक्षक के।

135. पंचायती राज से सम्बन्धित अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी?
(अ) 1952 ई. (ब) 1972 ई.
(स) 1976 ई. (द) 1977 ई.

136. भारत में सामुदायिक विकास योजना को कब शुरू किया गया?
(अ) 2 अक्टूबर, 1950
(ब) 2 अक्टूबर, 1951
(स) 2 अक्टूबर, 1952
(द) 2 अक्टूबर, 1959।

137. किस समिति ने जिला कलेक्टर को विकास कार्यों से मुक्त करके एक नया पद सृजित करने की सिफारिश की?
(अ) बलवंत राय मेहता समिति
(ब) अशोक मेहता समिति
(स) राजमन्नार समिति (द) सरकारिया आयोग

138. कौन-सा कार्य जिला कलेक्टर का नहीं है?
(अ) राजस्व एकत्र करना
(ब) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना
(स) विकास कार्यक्रमों का निर्देशन एवं समन्वय
(द) संघ सरकार को सार्वजनिक नीति निर्माण परामर्श देना।

139. सर्वाधिक प्राचीन नगर निगम है?
(अ) दिल्ली नगर निगम
(ब) कोलकाता नगर निगम
(स) मुम्बई नगर निगम
(द) चेन्नई नगर निगम।

140. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण है-
(अ) एक वैधानिक निकाय
(ब) एक पंजीकृत निकाय
(स) एक निर्वाचित निकाय
(द) एक सामान्य सरकारी संगठन।

141. भारत में निम्नलिखित में से कौन-सा एक नगरीय शासन का प्रकार उपलब्ध है?
(अ) काउन्सिल मेयर (ब) कमिश्नरी
(स) मेयर-इन-काउन्सिल (द) काउन्सिल मैनेजर

142. नगरपालिका बिल पहली बार संसद में जिस प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्रित्व काल में रखा गया वह थे :
(अ) इन्दिरा गांधी (ब) चन्द्रशेखर
(स) राजीव गांधी (द) नरसिम्हा राव।

143. जिला विकास अधिकारी को जिला परिषद् का मुख्य प्रबन्धक बनाने का सुझाव निम्नलिखित में से किसका था?
(अ) बलवन्तराय मेहता समिति
(ब) अशोक मेहता समिति
(स) प्रशासनिक सुधार आयोग
(द) 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम।

144. नगर पंचायत की स्थापना का सुझाव किसने दिया?
(अ) संविधान का 74वां संशोधन
(ब) राष्ट्रीय नगरीकरण आयोग
(स) नगरीय विकास मन्त्रालय
(द) अन्तर्राज्यीय परिषद।

KOTHARI INSTITUTE

145. लखीना (अहमदनगर) प्रयोग का सम्बन्ध है-

(अ) जिला प्रशासन से

(ब) पंचायती राज प्रशासन से

(स) ग्रामीण विकास प्रशासन से

(द) जनजातीय विकास प्रशासन से।

146. संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम 1992 में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया है?

1. नगरपालिका समितियां

2. वार्ड समितियां

3. जिला आयोजन समिति

4. महानगर आयोजन समिति

निम्न कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(अ) 1 और 3 (ब) 2 और 4

(स) 1, 2 और 3 (द) 2, 3 और 4

147. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए

सूची- I	सूची-II
(a) 74वां संविधान संशोधन	1. लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण
(b) 74वां संविधान संशोधन	2. राज्य वित्त आयोग
(c) बलवन्त राय मेहता समिति	3. नगर परिषद
(d) एल. एम. सिंघवी समिति	4. पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान किया जाना

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(अ)	2	3	4	1
(ब)	2	3	1	4
(स)	3	2	1	4
(द)	3	2	4	1

148. एक जिले के कलेक्टर के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

(अ) वह विकास की विभिन्न गतिविधियों का समन्वय करता है

(ब) वह राज्य सरकार तथा जिला पंचायत के मध्य एक कड़ी है

(स) वह अपने जिले में संकट की परिस्थितियों का प्रबन्ध करता है

(द) वह राज्य व्यवस्था में एक सूत्र कार्यकर्ता है।

149. निम्न का सम्बन्ध सुविदित स्थानीय शासन नीतियों से है

1. बलवन्त राय मेहता 2. लार्ड मेयो

3. लार्ड रिपन 4. अशोक मेहता

ऊपर वर्णित व्यक्तियों का सही कालक्रम क्या है? नीचे दिए हुए कूटों से उत्तर का चयन कीजिए-

(अ) 1, 2, 3 और 4 (ब) 2, 3, 1 और 4

(स) 3, 2, 4 और 1 (द) 4, 1, 3 और 2

150. भारत में कलेक्टर के पद की रचना किसने की?

(अ) वारेन हेस्टिंग्ज ने (ब) लार्ड कर्जन ने

(स) लार्ड मिन्टो ने (द) लार्ड रिपन ने।

निर्देश–आगामी प्रश्नांशों में दो वक्तव्य हैं। एक को 'कथन-A' तथा दूसरे को 'कारण-R' कहा गया है। आपको दोनों वक्तव्यों का सावदानीपूर्वक परीक्षण करना है और निर्णय करना है कि क्या 'कथन-A' और 'कारण-R'

पृथक्-पृथक् सही हैं और यदि ऐसा है तो क्या कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है। इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से चुनिए और अपने उत्तर पत्रक में तद्नुसार अंकित कीजिए

कूटः

(अ) A और R दोनों सही हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है

(ब) A और R दोनों सहीं हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं हैं

(स) A सही है परन्तु R गलत है

(द) A गलत है परन्तु R सही है।

KOTHARI INSTITUTE

151. **कथन (A)** : निम्नतम स्तर पर पंचायती राज संस्थाएं विकास कार्यों में जनता की अधिकाधिक सहभागिदता और रूचि को निश्चित करती है।

कारण (R) : अशोक मेहता समिति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि पंचायती राज की द्विस्तरीय प्रणाली की रचना की जाए।

152. **कथन (A)** : प्रशासन में जनसहभागिता, भारत में राजनीतिक संरचण प्रक्रिया का ही एक अंग होने के कारण, अभिजात समूहों द्वारा प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर निर्धारित होती है।

कारण (R) : पंचायतों की दूसरी पीढ़ी का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यही है कि वे अब स्थानीय विकास संगठन के बदलकर स्थानटि ा राजनीतिक संस्थाएं बन गई हैं।

153. **कथन (A)** : भारत में जनता की भागीदारी बहुत हद तक एक कल्पना रही है।

कारण (R) : यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज की प्रतिध्वनि बनना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले, जनता के लिए उतनी ही भली हैं।

154. **कथन (A)** : लार्ड रिपन भारत में स्थानीय सरकार के मसीहा थे।

कारण (R) : उनकी दृष्टि में स्थानीय शासन प्रधानतः राजनीतिक तथा सार्वजनिक शिक्षा का एक साधन था।

155. **कथन (A)** : जिला कलेक्टर एक अति श्रमित कर्मचारी है।

कारण (R) : जिले के अधिकांश लोगों की नजर में जिला कलेक्टर ही सरकार है।

❍❍❍❍❍

KOTHARI INSTITUTE

उत्तरमाला

1. (ब)	2. (अ)	3. (ब)	4. (द)	5. (स)	6. (स)	7. (स)	8. (अ)	9. (ब)	10. (अ)
11. (अ)	12. (ब)	13. (अ)	14. (ब)	15. (स)	16. (ब)	17. (स)	18. (अ)	19. (ब)	20. (स)
21. (अ)	22. (ब)	23. (अ)	24. (स)	25. (द)	26. (स)	27. (ब)	28. (द)	29. (अ)	30. (ब)
31. (द)	32.(अ)	33. (ब)	34. (अ)	35. (स)	36. (अ)	37. (ब)	38. (द)	39. (ब)	40. (द)
41. (ब)	42. (अ)	43. (द)	44. (अ)	45. (ब)	46. (द)	47. (स)	48. (अ)	49. (ब)	50. (ब)
51. (अ)	52. (स)	53. (स)	54. (अ)	55. (ब)	56. (अ)	57. (ब)	58. (स)	59. (ब)	60. (अ)
61. (द)	62. (अ)	63. (स)	64. (अ)	65. (द)	66. (द)	67. (द)	68. (स)	69. (स)	70. (अ)
71. (ब)	72. (अ)	73. (ब)	74. (द)	75. (स)	76. (अ)	77. (स)	78. (ब)	79. (ब)	80. (द)
81. (ब)	82. (ब)	83. (द)	84. (अ)	85. (स)	86. (द)	87. (द)	88. (अ)	89. (द)	90. (अ)
91. (द)	92. (द)	93. (स)	94. (द)	95. (अ)	96. (द)	97. (ब)	98. (अ)	99. (ब)	100. (अ)
101. (ब)	102. (ब)	103. (ब)	104. (स)	105. (स)	106. (स)	107. (अ)	108. (द)	109. (ब)	110. (ब)
111. (स)	112. (ब)	113. (स)	114. (द)	115. (ब)	116. (अ)	117. (अ)	118. (द)	119. (द)	120. (ब)
121. (ब)	122. (ब)	123. (स)	124. (स)	125. (स)	126. (स)	127. (ब)	128. (स)	129. (ब)	130. (द)
131. (अ)	132. (ब)	133. (द)	134. (द)	135. (द)	136. (स)	137. (ब)	138. (द)	139. (द)	140. (ब)
141. (ब)	142. (स)	143. (ब)	144. (अ)	145. (अ)	146. (द)	147. (ब)	148. (ब)	149. (ब)	150. (अ)
151. (ब)	152. (ब)	153. (ब)	154. (अ)	155. (अ)					

KOTHARI INSTITUTE